खण्ड-350, अंक-1
गुरूवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(12 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-4
प्रश्नोत्तर	5-54
विधान सभा सदस्य, सरदार चंचल सिंह गिल के निधन पर शोकोद्गार	55-57
आज की सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का सुझाव ..	57-58
पत्रियां	59-67

सत्यमेव जयते

प्रदेश प्रहरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 12 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 313

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला सहानी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदाबीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखधार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जतेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राव, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नौनिहाल सिंह चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्म प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)

भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर, (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
लल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रूटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)

वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्री नाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सूखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवी सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट:--मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 12 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, देवरिया का उत्पीड़न विषयक पत्र

*1-श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, देवरिया का उत्पीड़न विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9-10-80 के संलग्नक पत्र में दी गयी कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं व उस पर अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका ? कब तक निर्णय लिये जाने की उम्मीद है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

श्री हसनैन खां, अवर अभियंता, उत्तर प्रदेश, जल निगम के उत्पीड़न विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-10-80 के संलग्नक पत्र में दी गई शिकायतें जांचोपरान्त सही नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

आंधर गुरु, बहिर चेला मांगे गुड़ तो ले आवे ढेला ।

मान्यवर, मैंने लिखा था कि इसकी जांच की जाय कि ट्यूबवेल की कितनी मदों पर कितना-कितना खर्चा हुआ । मान्यवर, यह पत्र उनके पास है और यह पत्र मैंने 9-10-80 को दिया था । साथ ही मन्त्री जी यह भी बता दें कि आरोपों की जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, इसकी जांच श्री सी0 एस0 मालवीय, अधीक्षण अभियन्ता, सोलहवां मंडल, वाराणसी द्वारा करायी गई ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, जल निगम को भ्रष्टाचार के मामले में सन् 1967 में निकाला गया था तो फिर किन कारणों से उनको सेवा में लिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, यदि अनुमति दें तो मैं पूरी स्थिति स्पष्ट कर दूं । 2-4 मिनट लगेंगे । ऐसा है कि श्री हसनैन खां ने विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर प्रथम नियुक्ति पर दिनांक 4 जुलाई 1964 को कार्यभार ग्रहण किया । बिना

[श्री श्रीकृष्ण गोयल---]

12 जुलाई, 1966 को उन्होंने कानपुर से गोरखपुर स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया और 14-3-67 को गोरखपुर स्थानांतरित हुये । 3 महीने की अल्प अवधि में ही सहायक अभियन्ता से उन्होंने झगड़ा किया और यह आरोप लगाया कि अनुपयुक्त वातावरण में कार्य करने में असमर्थ हैं । अतएव उन्हें या तो अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाय या उनका त्याग-पत्र स्वीकृत कर लिया जाय । दिनांक 3 जुलाई, 1967 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया । फिर उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया कि मुझे नौकरी में रख लिया जाय मैं माफी मांगता हूं । उनको फिर से रख लिया गया । फिर उन्होंने गल्ती की, उस पर उनको हटा दिया गया फिर उन्होंने माफी मांगते हुये पुनः सेवा में लेने की प्रार्थना की तो उनको सेवा में ले लिया गया। इसके उपरान्त फिर उन्होंने ऐसी ही गल्ती की और उनको हटा दिया गया । उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगी तो उनको रखा गया । इस तरह से तीन बार वे ऐसा कर चुके हैं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

मान्यवर, मन्त्री जी यह बता दें कि किन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ था ? दूसरी बात यह है कि जो नलकूप उसने बनाये थे उनमें किन-किन मदों पर कितना-कितना व्यय हुआ था, उसे मन्त्री जी बता दें तो मामला साफ हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, यह बहुत ब्योरे का सवाल है कि किस-किस मद में कितना-कितना खर्च हुआ किन्तु इतना मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि अबकी बार श्री हसनैन खां को कोई रियायत नहीं की जायेगी ।

श्री भीखा लाल---

जैसा मन्त्री जी की बात से स्पष्ट है कि ये अनियमितताये करने के आदी हो गये हैं । इनको तीन मर्तबा बरखास्त किया गया और तीन बार इन्होंने माफी मांगी तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये गलत काम करने के आदी हैं तो क्या सरकार भी गलत काम करने की आदी थी कि उसको बार-बार नियुक्त किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

इस बार बिलकुल माफी नहीं दी जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, जैसा कि उसकी हिस्ट्री माननीय मन्त्री जी ने बतायी, उसको सामने रखकर क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस शख्स को बार-बार किन कारणों से माफ किया गया और अगर जांच के बाद यह मालूम हो कि गलत तरीके से माफ किया गया है तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

इसकी जांच करा लेंगे और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ।

श्री नन्दकिशोर सिंह---

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि वह दो तीन बार निकाले गये । तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जब वह फंसने लगे तो

उससे मांफी मंगवा कर रख लिया । तो उसकी जो दरख्वास्त है उसकी जांच होनी चाहिये । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां कुल कितने ट्यूबवेल लगे और उनकी बोरिंग के बाद जो बजरी लगी वह नौतनवां के बजाय लालकुंवा की बजरी लगाई गयी । तो क्या इसकी किसी टैक्नीशियन द्वारा जांच करायेंगे जिससे सारे मामले का पर्दाफाश हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

जांच कराने की बात कह दी है कि जांच करा लेंगे ।

श्री नन्दकिशोर सिंह--

इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ उसमें सारे विभाग के अधिकारी फंस रहे हैं जिसकी उन्होंने शिकायत की है । तो मैं जानना चाहूंगा कि किसी टैक्नीशियन से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, पूरे ब्यौरेवार जांच एस० ई० द्वारा करा ली गयी है । जितनी बातें हसनैन खां ने लिखी थी, गलत पायी गयी ।

श्री नन्दकिशोर सिंह--

जांच किस तारीख को हुई है और बोरिंग कब हुई ?

श्री अध्यक्ष--

जांच कब हुई है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जांच सन् 1980 में हुई थी ।

डा० एस० के० वर्मा चिकित्साधिकार, राजकीय टी० बी० क्लीनिक, हरदोई की वेतन वृद्धि तथा वेतन

*2-श्री कल्लूराम रत्नाकर (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि डा० एस० के० वर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय टी० बी० क्लीनिक, हरदोई की नियुक्ति दिनांक 25 फरवरी, 1976 को हुयी थी ? क्या यह भी सही है कि डा० वर्मा को कोई वेतन वृद्धि तथा विशेष शैक्षिक योग्यता डी० आर्थ० का विशेष वेतन तक नहीं दिया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में उपरोक्त चिकित्साधिकारी द्वारा 26 जुलाई, 1980 तक लगभग 16 बार शासन को प्रार्थना-पत्र (रिमाइन्डर) दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त वेतन वृद्धि तथा विशेष वेतन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो वेतन वृद्धि तथा विशेष वेतन प्रदान करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

डा० एस० के० वर्मा ने प्रथम नियुक्ति पर मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन दिनांक 25-2-1976 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया था । डा० वर्मा को विशेष शैक्षिक योग्यता वेतन स्वीकृत हो गया है । वेतन वृद्धि के विषय

[श्री लोकपति--]

में विचार हो रहा है । इस सम्बन्ध में उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी के दो प्रार्थना-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुये हैं ।

[दिनांक 12 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर के प्रवक्ताओं एवं कर्मचारियों की पर्सनल फाइल एवं सेवा पुस्तिका चोरी की दर्ज रिपोर्ट

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर के प्रवक्ताओं एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं एवं उनकी परसनल फाइल के चोरी किये जाने सम्बन्धी नामजद रिपोर्ट शहर कोतवाली, गाजीपुर में अगस्त, 1980 के अन्तिम सप्ताह अथवा सितम्बर के प्रथम सप्ताह में दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)--

प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 10 सितम्बर, 1980 को दर्ज करायी गयी है ।

पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, रिपोर्ट 10 सितम्बर, 1980 को दर्ज कराई गयी और उसके बाद से अब तक मामला छानबीन के अन्तर्गत है । माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि किस व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई गयी है और उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने लिखित बयान दिया है कि जो फाइलें और सेवा पुस्तिकायें हैं वह सब उनके पास मौजूद हैं । जब यह चीज साबित हो जाती है कि परसनल फाइलें और सेवा पुस्तिकायें उसने चोरी करके अपने पास रखी हुई हैं तो उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हरि सिंह--

जैसा मैंने अभी निवेदन किया यह मसला थाने में रिपोर्ट कर दिया गया है । यह पुलिस का काम है कि कार्यवाही करे । मैं बताना चाहता हूं कि विभाग ने कई बार पुलिस से आग्रह किया है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा स्पष्ट सवाल था कि सेवा पुस्तिकायें और फाइलें सम्बन्धित प्राचार्य के पास में मौजूद हैं, इस तथ्य को उस आदमी ने स्वयं लिखित रूप से कबूल किया है । प्राचार्य पद से हटने के बाद सारी सेवा पुस्तिकाएं आदि वह लेकर चले गये । नामजद रिपोर्ट किया था तो उन्होंने इस चीज को माना । लेकिन इन चीजों को उससे लेने की न कोई व्यवस्था की गई और न उनको गिरफ्तार किया गया, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ?

श्री हरि सिंह—

श्री वर्मा जी, इस बात की सूचना जो उनके स्थान पर आदमी आया; न उनको दी है और न पुलिस को सूचित किया और न पुलिस ने हमारे विभाग से कहा कि यह सेवा पुस्तिकाएं और फाइलें आदि हमारे पास हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है यह एक अस्पताल में आपस के विवाद का परिणाम है और उनके पास यह सब रहने से न जाने कितने कर्मचारियों का नुकसान हुआ है । तो वहां के जिलाधिकारी या विभागीय अधिकारी ने कम से कम इस दिशा में क्या प्रयास किया कि यह फाइलें शासन के पास आ जाएं और उसमें उनको क्या सफलता मिली है ? मात्र पुलिस की रिपोर्ट ही पर्याप्त नहीं है ।

श्री हरि सिंह—

इस कालेज के ऐडमिनिस्ट्रेटर जिलाधीश महोदय हैं और उन्होंने इस बारे में उनको कई बार सूचित किया है कि वह इस सम्बन्ध में हमको पूरी जानकारी दें, लेकिन वह किसी सोर्स से नहीं मिला । इसलिए आपके अगले सवाल की सूचना देने की बात अभी हमारे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

चूंकि उस विद्यालय के प्रबन्धक जिलाधिकारी हैं, व्यक्तिगत आदमी होता तो उस पर आपका कन्ट्रोल नहीं हो सकता था, उन पर शासन का डायरेक्ट कन्ट्रोल है और इससे उनकी इन्इफीशियन्शी जाहिर होती है, तो उन्होंने अब तक इस बारे में क्या कारगर कार्यवाही की है, क्योंकि कर्मचारियों के तमाम काम इसकी वजह से रुके हुये हैं ? और अब तक जो कार्यवाही हुई है, क्या उससे मंत्री जी सन्तुष्ट हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरि सिंह—

मैंने निवेदन किया कि सारा मामला पुलिस के हवाले है । जब तक पुलिस हमको कार्यवाही करके न दे तो हम क्या करेंगे । जब पुलिस की रिपोर्ट आ जाए और उनके पास न हो, तब ही तो हम आगे कार्यवाही करें और नई फाइलें आदि बनवायें ।

श्री रियासत हुसैन—

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के करेक्टर-रोल और सर्विस बुक्स रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और वे किसी खास आदमी के पास हैं, जिनकी नामजद रिपोर्ट है, तो क्या इस बात का प्रयास डी० एम० या एस० एस० पी० के द्वारा कराने का प्रयत्न करेंगे कि वह चीजें रिकवर हो सकें और उस आदमी को गिरफ्तार किया जा सके ?

श्री लोकपति—

माननीय, यह जांच पुलिस कर रही है । सिर्फ ऐसी सूचना है कि गाजीपुर के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के जो प्रिंसिपल रहे और जिनको अब अधीक्षक बना दिया गया है, उनके पास रिकार्ड्स हैं ।

बी० टेक्स तथा मैलथियान नामक जहरीली दवा छिड़कने से जल प्रदूषण तथा उससे हुयी हानि

* 2—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नालियों और नालों में मच्छर मारने के लिए छिड़काव करने वाली दवा बी० टेक्स' नालियों और नालों के पानी द्वारा गोमती, गंगा, यमुना तथा सरयू एवं घंघरा जैसी नदियों में गिरती है ? क्या शासन ने जल प्रदूषण रोकने के लिए बड़े शहरों की नदियों के पानी की जांच कराई है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? मच्छर भगाने के लिये बड़े शहरों में मैलाथियान नामक जहरीली दवा को डीजल में मिलाकर धुंए के रूप में उड़ाया जाता है ? क्या धुआं उड़ाने के पहले शासन द्वारा लाउडस्पीकर से सूचना दी जाती है ? यदि नहीं तो क्यो ? क्या शासन बी० टेक्स और मैलाथियान के प्रयोग पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

बी० टेक्स का छिड़काव नालियों, नालों तथा अन्य ऐसे स्थानों पर जहां पानी एकत्र रहता है सप्ताह में एक बार किया जाता है । इस दवा का प्रयोग भारत सरकार द्वारा बनायी गयी तकनीकी कार्य प्रणाली के आधार पर किया जाता है । भारत सरकार ने पायलेट प्रोजेक्टों द्वारा पूर्णतया इसकी जांच-पड़ताल कर ली है कि इसका कुप्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि मछलियों तथा मवेशियों पर भी न पड़े । बी० टेक्स से जल प्रदूषित होने या उससे किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अतः स्वास्थ्य विभाग द्वारा नदियों के पानी की जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जब भी किसी नगर में मैलेथियान द्वारा धुआं उड़ाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाता है तो नगर के सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम का प्रसार लाउडस्पीकरों तथा अन्य माध्यमों द्वारा किया जाता है ।

बी० टेक्स तथा मैलेथियान का प्रयोग कई प्रकार की घातक बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने के लिये किया जाता है । इसके प्रयोग से मनुष्यों, मवेशियों तथा मछलियों पर भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है अतः इनके प्रयोग पर कोई रोक लगाने का विचार नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने 15 नवम्बर, 1980 को दिया था तो क्या यह पर्याप्त नहीं था कि इस प्रश्न को ही आधार मानकर जल प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत की जांच करा लेते ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया बड़ा ही साधारण सी बात है कि ये दवायें पानी से मिलने पर बड़ी डाइल्यूट हो जाती हैं नालियों में । हमें किसी भी क्षेत्र या सोर्स से यह शिकायत नहीं मिली है कि इससे बुरा प्रभाव पड़ता है । जब हमें किसी सोर्स से सूचना ही नहीं मिली तो जांच ही क्या करा लेते ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यदि कोई शिकायत न होती तो मैं प्रश्न ही न देता । अभी हाल में उन्होंने सुना होगा कि गोमती में हजारों मछलियां मर गयी । इसके अलावा बी० टेक्स

के डिब्बों पर भी चेतावनी छपी रहती है और उसके डिब्बों को जमीन में गड़वा दिया जाता है और इसके लिट्रेचर में भी लिखा होता है कि इसके सम्पर्क से कुष्ट रोग जैसी भयंकर बीमारी फैल सकती है। नालियों के जरिए जब पानी नदियों में जाता है तो उसे ही लोग पीते हैं और स्नान करते हैं। तो क्या अब इस सूचना के बाद वे पानी की जांच करायेंगे ?

श्री हरि सिंह--

हम अवश्य ही जांच करायेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जब भी किसी नगर में मैलोथियान द्वारा धुआं उड़ाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाता है तो नगर के सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का प्रसार लाउड स्पीकर्स द्वारा कराया जाता है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर मन्त्री जी से बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करूंगा, इसे वे मेरी गुस्ताखी न समझें कि क्या वे बता सकते हैं कि किस तारीख में लाउड स्पीकर्स से घोषणा हुयी और जिस गाड़ी में लाउड स्पीकर फिट होगा, क्या उसकी लांग बुक भरी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा देंगे ?

श्री लोकपति--

कौन सा सुझाव माननीय सदस्य का है, किस प्रकार की सूचना दी जाय। यह प्रश्न मैलाथियान के सम्बन्ध में हुआ था और मैंने उत्तर दिया था कि बी० टेक्स तथा मैलाथियान का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर घातक नहीं होता है और जहां यह बनता है, जिसकी उन्होंने चर्चा यहां की, इस बारे में यही निर्णय वहां पर भी हो चुका है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

दिल्ली जैसे नगरों में तथा अन्य शहरों में भी विज्ञापन द्वारा तथा लाउड स्पीकरों द्वारा इसकी सूचना दी जाती है कि इस दवा का छिड़काव होगा और लोग अपने-अपने मकानों की खिड़कियां बन्द कर लें तथा खाने का सामान आदि ढक कर रखें। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उसकी घोषणा हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका क्या प्रमाण है, किस तिथि को हुई और जिस लारी पर लाउड स्पीकर द्वारा घोषणा करायी गयी होगी उसका प्रमाण तथा तिथि जरूर होगी, वह बतला दें माननीय मन्त्री जी ?

श्री लोकपति--

माननवर, भविष्य में इसकी रसीद रखी जायेगी। (हंसी)।

(व्यवधान)

होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति में अनियमितताएं

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को जानकारी है कि होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति हेतु जनवरी, 1980 में हुए साक्षात्कार की चयन सूची में से कतिपय चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अगस्त तथा अक्तूबर, 1980 में शासन के सम्बन्धित सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्रों के तथ्य क्या हैं तथा इस दिशा में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे । शिकायती-पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1980 में उल्लेख है कि होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की नियुक्ति हेतु जनवरी, 1980 में साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 6 माह की अवधि बीत जाने पर भी नहीं प्राप्त हुये हैं तथा यह कि कुछ अधिकारियों द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उक्त चयन को निरस्त कराकर पुनः चयन किया जाय । इस सम्बन्ध में जाँच कराकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी कराने का अनुरोध किया गया था । शिकायती-पत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1980 में उल्लेख है कि उक्त चयन अनियमित होने के कारण उसका अनुमोदन नहीं किया गया था फिर भी उक्त साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की सूची के एक अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार को होम्योपैथिक कम्पाउन्डर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है । पत्र में यह भी कहा गया था कि इसकी जांच कराकर उक्त स्थिति सही पाये जाने की दशा में इसी प्रकार सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाय । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक से वस्तुस्थिति ज्ञात की गई जिससे यह विदित हुआ कि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव को होम्योपैथिक कम्पाउन्डर के पद पर नियुक्ति उक्त चयन के आधार पर नहीं की गई है, वरन् उनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से उनके द्वारा पृथक् से दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रशासनिक कारणों से की गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने, मान्यवर, कुछ घुमा फिराकर उत्तर दिया है । शासन को जब इसकी जानकारी मिल गयी कि विभाग में इनकी जरूरत है तभी तो विज्ञापन आदि निकला और एक सूची बनायी गयी जनवरी में । वह सूची जिसे कि प्रकाशित करना जरूरी था प्रकाशित नहीं की गयी और उसी सूची में से एक ऐसे आदमी को नियुक्ति कर ली गयी जो वरिष्ठता में नहीं आता था । जब सूची बन गयी थी तो उसी सूची में से ऊपर से वरिष्ठता के आधार पर आदमी को लेना चाहिये था । उस निग्रम को तोड़ कर अलग से नियुक्ति करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

31 अक्तूबर, 1979 से पूर्व कम्पाउन्डरों की नियुक्ति अथवा चयन करने का अधिकार सी० एम० ओ० को था । 31 अक्तूबर, 1979 को शासन का एक आदेश हुआ कि यहां पर केन्द्रीय रूप से इसका चयन कराया जाय और यह विज्ञापन किसी समाचार-पत्रों में नहीं हुआ । कुछ खास लोगों को यह सूचना दी गई । तो जो तरीका शासन का रहा है चयन का, चूंकि इसके बरखिलाफ यह सारी कार्यवाही हुई थी, इसलिये उस चयन को शासन ने रद्द कर दिया, दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव को क्यों नियुक्त किया गया । श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र पहले भी, जो चयन अधिकारी थे, उनके यहां सीधे पड़ा हुआ था और यहां भी पड़ा हुआ था । तो जो शासन से सी० एम० ओ० को चयन अधिकारी का अधिकार दिया गया, उसके अनुसार उन्होंने किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, चयन की प्रक्रिया चालू हुई । आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये । जिन अधिकारियों ने चयन की प्रक्रिया चालू की और बाद में अनियमित पाया गया, तो ऐसे अनियमित पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त किस सी० एम० ओ० ने नियुक्त किया ?

श्री लोकपति--

श्रीमन् जिन्होंने अनियमितता की थी, उनको जनता ने सजा दे दिया । दोष अधिकारियों का नहीं था । अब वह बात कहना अनुचित है, इसलिये मैं नहीं कहना चाहता । जिनका दोष था, उनको सजा मिल गई । जहां दूसरे प्रश्न का सवाल है, जिस जनपद में हुआ था यह सूचना में लिखित भेज दूंगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, जनवरी, 1980 का मामला है, यह कि जिन अधिकारियों ने वह गलत चयन किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । माननीय, चयन की प्रक्रिया चालू होती है, लेकिन एडहाक रूप में किसी न किसी की सिफारिश पर रख दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी सिफारिश पर रख दिया गया । अगर यह नहीं बतला सकते, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता लगाकर बता सकेंगे कि अगर सी० एम० ओ० से भिन्न किसी अधिकारी ने नियुक्त किया है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन् ऐसी कोई बात जब कुछ हुई ही नहीं, तो कार्यवाही किस चीज की हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, नियम आपने बताया कि नियुक्ति सी० एम० ओ० कर सकते हैं । मेरी सूचना है कि सी० एम० ओ० ने नियुक्ति नहीं की । यह माननीय, व्यक्तिगत प्रयास से नियुक्ति हो गई है । अगर सी० एम० ओ० ने नियुक्ति किया है, तो आप पता कर लीजियेगा और अगर सी० एम० ओ० से भिन्न किसी व्यक्ति की दस्तखत से नियुक्ति हो गई है, तो भी आप पता कर लीजिएगा । मेरी जानकारी है कि उसने कम्पाउन्डर का काम नहीं किया, सी० एम० ओ० के कार्यालय में भी काम नहीं किया, तो वह किस अस्पताल में काम किया, मेरा साफ सवाल है, पोलिटिकल लीडर का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि वहां के अधिकारियों ने चयन का आवेदन-पत्र मांगा था ?

श्री लोकपति--

श्रीमन् माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने किया है, तो मुझे याद नहीं है । अगर मैंने किया होगा, तो मैं सदन के सामने क्षमा मागूंगा, मुझे याद नहीं और किसने किया है, यह तो एक प्रशासनिक कार्यवाही है । क्या यह परम्परा कायम होगी कि हम किस अधिकारी को कहां नियुक्ति देते हैं । यह प्रशासनिक मामला है, माननीय ।

होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, दलेलनगर को बन्द करने के आदेश तथा चिकित्साधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*4--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र अ-728(8) 5-111-1, दिनांक 22 अप्रैल, 1975 द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ को दलेलनगर तहसील सन्डीला, जिला हरदोई की राजकीय होमियोपैथिक सहायता प्राप्त डिस्पेन्सरी को बन्द करने का आदेश दिया गया था, जिस पर निदेशक ने अपने पत्र स0 25एफ/300/70/4123 (68), दिनांक 7 अगस्त, 1975 द्वारा वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 प्रहलाद कुमार को उक्त चिकित्सालय बन्द करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का परिपालन हो गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा कर्मचारियों को उनके वेतन (सब्सिडी) का भुगतान कर दिया गया है तथा चिकित्सालय के फर्नीचर व रिकार्ड को उनसे लेकर कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हां, प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 22-4-1975 द्वारा प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों को सब्सिडी दिये जाने की दिनांक 1-4-75 से समाप्त करने का निर्णय स्वास्थ्य सेवा निदेशक को सूचित किया गया था । तदनुसार निदेशक ने आदेश प्रसारित किया । होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, दलेलनगर के चिकित्साधिकारी डा0 प्रहलाद कुमार को वर्ष 1971-72 तक की सब्सिडी का भुगतान किया गया था तथा उन्होंने 11-2-1972 को डिस्पेन्सरी के रिकार्ड जिला परिषद् हरदोई में जमा कर डिस्पेन्सरी बन्द कर दी थी ।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना है कि जो मेरा मूल प्रश्न था, उसके ऊपर पूरा उत्तर नहीं आ सका है । मेरे प्रश्न के दूसरे पहलू में यह कहा गया है कि क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा कर्मचारियों को उनके वेतन (सब्सिडी) का भुगतान कर दिया गया है तथा चिकित्सालय के फर्नीचर व रिकार्ड को उनसे लेकर कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ?

इसलिये माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस हास्पिटल का फर्नीचर और रिकार्ड तथा सारा सामान किस डाक्टर के पास है ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, यह एक योजना थी, जो सन् 62 से 68 तक चालू रही देहाती क्षेत्र में । जो एलोपैथिक डाक्टर वहां जाकर सेवा करता उसे सब्सिडी 50 रु0 दी जाती थी । वह योजना 74-75 में समाप्त हो गई । उसके बाद सम्बन्धित व्यक्ति जो थे, वह स्वेच्छा से 72-73 में काम छोड़कर, रिकार्ड स्वेच्छा से जिलाधिकारी को देकर चले गये ।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, वह डिस्पेन्सरी जब से शुरू हुई और जब समाप्त की गई, तब तक कितना धन खर्च हुआ ?

श्री लोकपति—

यह योजना बहुत पुरानी है, इसमें कितना धन व्यय किया गया, इसको जानने के लिये समय चाहिये।

*5—श्री प्रभुनारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र, जलालपुर के ग्राम थरांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय इस समय चलता है, जिसमें एक चिकित्सक हैं और उन्हें वर्ष में मात्र एक हजार रुपये की औषधियां वितरण हेतु दी जाती हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त चिकित्सालय का निर्माण क्षेत्रीय जनता ने लाखों रुपया व्यय करके करवाया है ? क्या सरकार इस अस्पताल में एलोपैथिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—!

जी हां, 1,500 रु0 की औषधियां दी जाती हैं।

प्रश्नगत चिकित्सालय से भवन का निर्माण क्षेत्रीय जनता द्वारा एकत्रित धन से कराया जा रहा है।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों के एक स्थान पर एक ही प्रणाली के चिकित्सालय स्थापित किये जाते हैं ग्राम थरांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है, जहां पर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में रुचि रखने वाले रोगी इस चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

छपिया विकास खंड के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को उपलब्ध मिट्टी का तेल

* 6—श्री छेदी लाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोंडा के छपिया विकास खंड के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को कितने महीनों से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है ? क्या मंत्री इसकी जांच करवा कर सम्बन्धित लाइसेन्सियों के प्रति प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

छपिया विकास खंड के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल बराबर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

अगर माननीय सदस्य का मतलब आपूर्ति से है, तो उसकी जांच करायेंगे। आपूर्ति का जहां तक सवाल है। तेल जो कम्पनियों से आता है, वह थोक विक्रेताओं को दे दिया जाता है और थोक विक्रेता लाइसेन्सियों को दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर दे दिया और आगे के लिये जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री छेदी लाल--

माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि छपिया विकास खंड में माह जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1980 में कितना तेल बांटा गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

छपिया विकास खंड में माह जुलाई में 8 हजार लीटर, अगस्त में 11 हजार और माह सितम्बर में 21 हजार 800 लीटर तेल बांटा गया ।

श्री छेदी लाल--

क्या माह अगस्त और सितम्बर, 80 में कोटेदार ने अपना कोटा जो उसे दिया गया था, उसने उठाया । इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री छेदी लाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर इस बात की जानकारी करायेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर के महीने में एक बूंद मिट्टी का तेल कोटेदारों ने व्यापारियों के यहां से नहीं उठाया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा लूंगा ।

साधन सहकारी समिति लि0, साधूनगर, जनपद गोंडा के विरुद्ध गबन का आरोप

*7--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या शासन को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति, गनबलिया, विकास खंड, करनैलगंज, जिला गोंडा के वर्तमान सचिव इससे पूर्व साधन सहकारी समिति लिमिटेड, कथोला भुलभुलिया में नियुक्त थे और हजारों रुपये का गबन करके अपना आलोशान भवन खड़ा कर लिया और फलस्वरूप उक्त सचिव के विरुद्ध कई गबन के मामले वर्ष 1977 से अब तक न्यायालय के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी जांच करके क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं ।

साधन सहकारी समिति, गनवलिया, विकास खंड, करनैलगंज, जिला गोंडा के वर्तमान सचिव इससे पूर्व साधन सहकारी समिति लि0 कथैला, भुलभुलिया में नहीं बल्कि साधन सहकारी समिति लि0, साधूनगर, विकास खंड रेहराबाजार, जनपद गोंडा में नियुक्त थे । उनके खिलाफ गबन करके आलीशान मकान बनवाने की कोई शिकायत नहीं मिली थी । अतः उनके खिलाफ भवन निर्माण के बारे में जांच करके कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जटा शंकर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न को आधार मानकर प्रश्न के संदर्भ में शिकायतों की क्या जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अगर कोई प्रश्न माननीय सदस्य करें तो उसका जवाब दूं । हमारे पास सारी सूचना है ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मेरी जानकारी है कि जांच करायी गयी है । तहसीलदार जांच करने गये थे । उसका क्या परिणाम रहा, मंत्री जी सूचना दे दें ?

श्री वासुदेव सिंह--

किसकी जांच करने गये थे ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मकान बनवाने की और गबन की पूरी जांच की गयी है और उसकी सूचना आयी है ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य किसके बारे में पूछ रहें हैं, बतायें ?

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, श्री कृष्ण देव सिंह, सचिव का स्थानान्तरण साधन सहकारी समिति, कथौला भुलभूलिया, जिला गोंडा से साधन सहकारी समिति, गनवलिया, विकास खंड करनैल गंज, जिला गोंडा को कर दिया गया है । यह अतरांकित प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया था । मैंने इन्हीं श्री कृष्ण देव सिंह के बारे में उक्त जानकारी चाही है ।

श्री वासुदेव सिंह--

आपने जिस प्रश्न के बारे में पूछा है, और यह जो आपका प्रश्न है, उससे अलग प्रश्न है । श्री कृष्ण देव के खिलाफ कार्यवाही हुयी है ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, सन् 78 से यह मामला दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने प्रश्न समाप्त कर दिया है ।

सेलेक्शन ग्रेड व स्पेशल ग्रेड में कार्यरत अनुसूचित जाति वजन जनजाति के चिकित्साधिकारी व उनकी प्रोन्नति

*8--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने चिकित्सा अधिकारियों के लिये 30-11-80 को सलेक्शन ग्रेड व स्पेशल ग्रेड में कितने पद आरक्षित थे और उन पर कितने चिकित्सा-अधिकारियों को प्रोन्नत किया जा चुका है ?

श्री हरि सिंह--

विनांक 30-11-80 को टी0 एम0 एच0 एस0 के पुरुष एवं महिला संवर्ग के स्पेशल ग्रेड तथा सीनियर स्केल में निम्नलिखित पद आरक्षित होने चाहियें:

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
स्पेशल ग्रेड	29	3
सीनियर स्केल	145	16

स्पेशल ग्रेड में अनुसूचित जाति के 1 अधिकारी और सीनियर स्केल में 3 अधिकारियों को प्रोन्नत किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी स्पेशल ग्रेड और सीनियर स्केल में कार्यरत नहीं है। स्पेशल ग्रेड में पुरुष एवं महिला संवर्ग के क्रमशः 39 व 15 तथा सीनियर स्केल में क्रमशः 264 व 53 पदों के लिये चयन होना शेष है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जो 30 नवम्बर, 1980 में स्पेशल ग्रेड में 29 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति तथा सीनियर स्केल में 145 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के स्थान रिक्त थे, तो उनको अब तक न भरने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, 1974 से पूर्व 10 प्रतिशत का आरक्षण था सी0 पी0 एम0 टी0 में और उसके क्वालीफाइंग मार्क्स 40 प्रतिशत थे, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग वह अर्हता नहीं पूरी कर पाते थे। 1974 के बाद 35 प्रतिशत क्वालीफाइंग मार्क्स कर दिये गये और 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत अनुसूचित और 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आरक्षण कर दिया गया। 1981-82 के दौरान जो परीक्षायें होंगी, उसमें लगभग 180 व्यक्ति इसमें निकलेंगे पहले बैच में। उससे इन पदों को भर दिया जायेगा।

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि स्पेशल ग्रेड में पुरुष एवं महिला संवर्ग के क्रमशः 39 व 15 तथा सीनियर स्केल में क्रमशः 264 व 53 पदों के लिए चयन होना शेष है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका चयन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, अभी मैंने कहा कि 140 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लोग मेडिकल कालेजेज में पढ़ रहे हैं। इस वर्ष की परीक्षा के बाद वे आयेंगे तो उनका चयन पहले साधारण ग्रेड में किया जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कितने व्यक्ति ऐसे हैं....।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। इस पर प्रश्न हो चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जिनके प्रार्थना-पत्र डायरेक्टर के यहां पड़े हुए हैं मेरा जरा उत्तर दिलवा दीजिये, मान्यवर।

सिसवां बाजार, गोरखपुर की जलकल सप्लाई तथा पुनर्गठन की योजना

*9--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र समिति सिसवां बाजार, जनपद गोरखपुर की जलकल सप्लाई जर्जर होने की स्थिति की जानकारी तकनीकी विभाग को मालूम होने पर विभाग द्वारा पुनर्गठन की योजना बनाई गयी और तकनीकी स्वीकृति भी दिनांक 13 दिसम्बर, 1979 को अधिशासी अभियन्ता, अभियंत्रण विभाग, दशम शाखा, गोरखपुर के पत्रांक 2575/सिसवा बा.ज.र-20 द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय जल निगम, लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाटर सप्लाई की स्थिति सुधारने हेतु उक्त योजना को सम्पन्न कराने के लिये स्वीकृति दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सिसवा बाजार, गोरखपुर पेयजल योजना अनुमानित लागत 3.19 लाख रुपये की सन् 1960-61 में बनी थी जो वर्ष 1966 में चालू की गई थी। अब इस नलकूप की क्षमता घट गई है तथा बालू भी आने लगी है और इस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। पानी की मांग तथा जनसंख्या बढ़ने से जल निगम द्वारा सिसवा बाजार की पुनर्गठन योजना तैयार कर ली गई है एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। जल निगम से योजना की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है तथा वर्ष 1981-82 में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा तथा यह कार्य 1983-84 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, इन्होंने स्वीकारा है कि वहां की जनसंख्या बढ़ी है। पेयजल की समस्या है और सन् 1979 से यह मामला चल रहा है। वर्ष 1983-84 में पूरा कराने का आश्वासन दिया गया है। मेरी निश्चित जानकारी है कि कुछ अधिकारी जानबूझ कर विलम्ब कर रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इस कार्य को शीघ्र कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, इसी वर्ष 1981-82 में यह प्रारम्भ होकर 1983-84 तक पूर्ण हो जायेगा । यही आश्वासन मैं दे सकता हूं ।

कुष्ठ विभाग के नान-मेडिकल असिस्टेन्ट तथा नान-मेडिकल सुपरवाइजर का विशेष वेतन

*10--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 फरवरी, 1979 के अनुसार नान-मेडिकल असिस्टेन्ट तथा नान-मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ विभाग), उत्तर प्रदेश को विशेष वेतन कुष्ठ भत्ता क्रमशः 25 रु0 प्रतिमाह तथा 50 रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है ? यदि हां, तो 1 फरवरी, 1979 के पूर्व कार्यरत समस्त कुष्ठ विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधा सरकार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हरि सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, 1980 में मैंने प्रश्न किया था, फिर इसे पुनर्जीवित कराया और माननीय मन्त्री जी का कहना है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" तो कितने साल का समय लगेगा, कितने समय में यह हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

इस महीने के अन्त तक यह पूरा हो जायेगा ।

भारत सरकार द्वारा चीनी तथा गेहूं के कोटे में कटौती

*11--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश का गेहूं तथा चीनी का माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 का कोटा कम कर दिया था ? यदि हां, तो कितने की कटौती की गई और क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत महीनों में भारत सरकार द्वारा चीनी के कोटे में कोई कमी नहीं की गई है । गेहूं के कोटे में भारत सरकार द्वारा अवश्य कमी की गई है, परन्तु वह सर्वप्रथम माह अगस्त, 1980 में एक लाख मैट्रिक टन से घटाकर 50 हजार मैट्रिक टन तथा माह अक्तूबर, 1980 में घटाकर केवल 35000 मै0 टन कर दिया गया है और यही घटा हुआ कोटा प्रश्नगत महीनों में भारत सरकार से प्राप्त हुआ है । इस प्रकार पहले की अपेक्षा भारत सरकार ने प्रश्नगत महीनों के कोटे में 65000 टन की कटौती की है । भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं का स्टाक सुरक्षित रखने की नीति के कारण गेहूं के कोटे में कमी की गयी है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रदेश की सरकार केन्द्र के मुकाबले कितनी निकम्मी है । अक्तूबर, नवम्बर की बात मैंने पूछी थी इन्होंने और अच्छा किया कि अगस्त की फीगर दे

दी । अगस्त में एक लाख मैट्रिक टन का 50 परसेन्ट घटाकर 50 हजार मैट्रिक टन कर दिया । यदि प्रदेश की सरकार उसी समय संघर्ष करती तो मेरा ख्याल है अक्तूबर और नवम्बर में जो 15 हजार मैट्रिक टन घटा है वह न घटता । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लेटेस्ट फीगर क्या है ? केन्द्र सरकार ने गेहूं के पूल हेतु यह कटौती की है तो उसकी स्थिति क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह कटौती पूल के हेतु की गई 35 हजार टन की थी । 5 हजार इस कोटे के अतिरिक्त मिला ।

श्री मोहन सिंह--

क्या प्रदेश की सरकार जो हमारा केन्द्र से कटा हुआ कोटा है जिसके चलते इस प्रदेश में गेहूं का दाम बड़ी तेजी से उछला, 35 परसेन्ट दाम बढ़े । क्या प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार से इस बात का प्रयास करेगी जब पूल का गेहूं हो जायेगा तो अगस्त और नवम्बर में जो कोटा कटा है उस कोटे को एक साथ पूरा कराने का प्रयास करेंगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मार्च और जून में गेहूं की खरीद की नयी नीति से हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे । गेहूं की खरीद, चीनी और खांडसारी में जैसा मैंने बयान दिया है मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं होगी । हम आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की आनें वाली खरीद से आत्मनिर्भर हो जायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी कोई तारीख बतायेंगे कि इस तारीख से पचेंज शुरू कर देंगे और बोरा आदि की व्यवस्था होती है जो अड़चने आती है उन सब का इन्तजाम हो गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

सारी व्यवस्था हो गई है यह तो एक क्रम है कोई तारीख या बिन्दु नहीं बता सकते ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा उन्होंने हाउस में तस्लीम किया कि कटौती हुई, जिसके कारण इसका नुकसान कुछ कमजोर जिलों को पहुंचा । मसलन हम यह कहें कि रामपुर भी इस प्रदेश का एक जिला है और गरीब जिला है तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिन जिलों में गरीब, जिलों में कटौती की गई हैं, जो गरीब डिक्लेयर्ड है, उनका गेहूं भविष्य में उनको दिया जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की सरकार के प्राथमिक कर्त्तव्य का सम्बन्ध है । अमीर-गरीब का सवाल नहीं है, हर जगह चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

श्री कमल--

इस बात को देखते हुये कि अभी जो दूसरी व्यवस्था हो रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमने बनारस में देखा कि शाप के मैनेजर नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन कहीं दुकान नहीं ली गयी हैं। जो आपने बताया कि एक क्रम है तो यह क्रम कब तक चलता रहेगा और कब इसको फाइनल कर दिया जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उत्तर जो मंत्री जी ने दिया है उसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि बहुत शीघ्र यह गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे, फसल आते ही। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल भी यह सवाल किया था कि पिछले साल 10 लाख मेट्रिक टन आफ गेहूं खरीद पाये थे जिसका कारण बताया था कि मार्केट रेट खरीद केन्द्रों के मुकाबले ज्यादा थी इसलिये किसानों ने खरीद केन्द्रों पर गेहूं दिया ही नहीं था। अभी तक दिल्ली की सरकार ने कोई रेट गेहूं का नहीं तय किया है और गेहूं की कटौती से मार्केट रेट हाई हो गया है। इसलिए क्या मंत्री जी गारन्टी देंगे कि जो खरीदने गेहूं जा रहे हैं और जिससे आत्मनिर्भर होंगे, उसका रेट मार्केट से ज्यादा होगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

गेहूं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, जिस भाव पर मिलेगा। लाभ की दृष्टि से नहीं देखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि परचेज की शीघ्र ही व्यवस्था होने जा रही है लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुये गेहूं और धान की खरीद के समय यह चीजें केन्द्रों पर इसलिये नहीं मिलती हैं क्योंकि काश्तकार को अपना माल दूर लेकर जाना पड़ता था। इसलिए नई योजना जो बन रही है उसमें जो केन्द्र खुलने जा रहे हैं वह एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में जाने के लिए काश्तकार को कितनी दूर जाना पड़ेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसके अनुसार 5 किलोमीटर का लक्ष्य है। लेकिन 5 हजार की आबादी वाले गांव में दुकान खोलेंगे और इसमें व्यापक नीति है जिसमें आधे घंटे का समय बताने में लगेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी को क्या इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूं के कोटे में कमी का कारण यह बताया है कि जिन सूबों में गेहूं कम वसूल किया गया था वहां कटौती की गयी है। इसलिए क्या सरकार इस बात को देखते हुये आश्वासन देगी कि अगले साल गेहूं की कमी नहीं पड़ेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

(प्रश्न संख्या 12 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । आपका यह नहीं लिखा जावेगा ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को जो परेशान किया जाता है उसके लिये क्या नीति सरकार बना रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आपको जानकारी है कि नहीं कि जब प्रश्न हो रहे हैं और मैंने प्रश्न संख्या 12 के सम्बन्ध में मंत्री जी को बुला लिया है, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं । आप बैठ जायं ।

मैनपुरी जिले की टाउन एरिया के दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारी

*12--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की टाउन एरियाओं में ट्रकों व बसों आदि से टाउन एरिया टैक्स वसूल करने के, जो दफ्तर बने थे, वह कुछ समय से खत्म कर दिये गये हैं और जो कर्मचारी टाउन एरिया दफ्तरों में कार्य कर रहे थे वह सब बिना कार्य किये कई हजार रुपया माहवार सरकार से वेतन ले रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

1 मई, 1979 से शासन के निर्णय के अनुसार टाउन एरियाओं, नोटीफाइड एरियाओं तथा नगरपालिका में पथकर तथा ट्रान्जिट टोल समाप्त कर दिया गया था । यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्य में लगे फालतू कर्मचारियों को दूसरी स्थानीय निकायों में और अवशेष करों की वसूली में लगाया जायेगा । मैनपुरी जिले में उक्त फालतू कर्मचारियों में से कुछ को नवसृजित टाउन एरियाओं में तथा शेष को अवशेष करों की वसूली में लगाया गया है एवं कोई भी कर्मचारी बिना कार्य के वेतन नहीं पा रहा है ।

नोट :--[+ + +] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विभिन्न होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन

*13--श्री जंगबहादुर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के 15 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जिसका अधिग्रहण शासन ने कर लिया है, के कर्मचारियों को 48 मास से वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? शासन कब तक भुगतान करेगी ?

श्री हरि सिंह--

उक्त 15 होम्योपैथिक कालेजों का अधिग्रहण शासन द्वारा नहीं किया गया है वरन् केवल उनका प्रबन्ध ही ग्रहण किया गया है । प्रबन्ध ग्रहण की तिथि दिनांक 4 मई, 1979 के पूर्व के वेतन के भुगतान का दायित्व शासन पर नहीं है । गत वित्तीय वर्ष में उक्त कालेजों को रु0 3,07,900 का अनुदान शासन द्वारा दिया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में रु0 3,62,000 का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है । अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ताकि प्रबन्ध ग्रहण की तिथि से अवशेष वेतन का भुगतान हो जाय ।

श्री जंग बहादुर--

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिन 15 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को प्रबन्ध अधिग्रहण में लिया गया है, वह कौन-कौन से हैं और उन पर कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री हरि सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी जिनको ग्रहण किया गया है, उनके नाम हैं :--

1--होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, तिगरी, मनकाबाला, नगीना, बिजनौर ।

2--श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्देश्वर, आजमगढ़ ।

3--बजरंग लाल डालमिया होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लच्छीरामपुर, आजमगढ़ ।

4--मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

5--केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।

6--कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।

7--डी0 जी0 एच0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।

8--टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।

9--रानी ईश्वरी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।

10--ग्राम विकास होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, खुटहनपुर, जौनपुर ।

11--डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।

12--गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।

13--होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर ।

14--इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

15--लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितनी धनराशि बकाया है, इसका उत्तर नहीं दिया ?

श्री लोकपति--

लगभग एक लाख रुपया वेतन इन 15 कालेजों का होता है । 4 मई, 1979 से लेकर 31 मार्च, 1981 तक इस बीच का लगभग 10 लाख रुपया बकाया रह गया है, जो 31 मार्च के पूर्व पूरा कर दिया जायेगा ।

भूतपूर्व विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का मुख्य मन्त्री को पत्र

*14--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत मास फैजाबाद जनपद के भू0 पू0 विधायक (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी) ने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखकर जिला प्रशासन एवं व्यापारियों पर यह आरोप लगाया है कि जिले से चीनी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजी जा रही है ? यदि हां, तो तत्काल इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

माह नवम्बर, 1980 में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का मुख्य मन्त्री जो को पत्र प्राप्त नहीं हुआ । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में संख्या सहायक के पद का स्थानान्तरण

*15--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग में मुख्यालय के लिये शासनादेश संख्या 2098/16-2/1978-62, दिनांक 30-6-66 में एक पद तथा शासनादेश संख्या 4375/16-2-1611-69, दिनांक 5-3-70 में चार स्थायी पद संख्या सहायकों के वेतनमान रु0 350-700 में सृजित है ? क्या यह सही है कि इनमें से एक संख्या सहायक के पद को कानपुर मेडिकल कालेज में दिनांक 9-9-80 को निदेशक द्वारा स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पद को स्थानान्तरित करने के लिये शासन की अनुमति प्राप्त कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हां,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने एक पत्र दिनांक 9-6-80 को स्थानान्तरित कर दिया था, परन्तु शासन द्वारा सहमति न दिये जाने के कारण निदेशक ने अपने आदेश रद्द कर दिये हैं ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रश्नगत शासनादेश, जिसके अन्तर्गत पद सृजित किये गये हैं, वह शासनादेश रद्द है या केवल एक ही पद से सम्बन्धित, जो स्थानान्तरित पद है, उस एक का शासनादेश रद्द है ?

श्री लोकपति--

जो एक स्थानान्तरित पद हुआ था डाइरेक्ट्रेट से, वह रद्द किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम से लेवी चीनी का व्यापार लेने का निर्णय

*16--श्री शंकर सिंह--

क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार ने लेवी चीनी का व्यापार भारतीय खाद्य निगम से अपने हाथों में ले लिया है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा एलाट की गई चीनी मिलों से नहीं उठा पा रही है जिसके कारण प्रदेश की सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक माह से भी अधिक से चीनी का स्टाक नदारत है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं । राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 1981 से लेवी चीनी का व्यापार भारतीय खाद्य निगम से अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है । सम्प्रति, मिलों से चीनी उठाने का दायित्व खाद्य निगम का ही है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शंकर सिंह--

आपने 1 अप्रैल, 1981 से अपने हाथ में चीनी का व्यापार लेने का निर्णय लिया है । तो जब मैंने प्रश्न किया था उस समय क्या आपने निर्णय ले लिया था और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और खाद्य निगम से कोई विचार-विमर्श किया था और उसी के फलस्वरूप खाद्य निगम ने चीनी मिलों से चीनी उठाना बन्द कर दिया ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल, 1981 से हम ये लेंगे । आपके प्रश्न के समय उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य निगम का ही था । भारतीय खाद्य निगम 65 फीसदी चीनी खुद लेता है और 35 फीसदी बेचने के लिए छोड़ देता है । यह पुरानी व्यवस्था थी । एक अप्रैल से दूसरी नीति चलेगी । चूंकि माननीय सदस्य का प्रश्न पुराना हो गया था इसलिए जवाब पुराने के हिसाब से ही दिया गया है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

माधोगंज प्राउन्ड नट क्रय विक्रय समिति, माधोगंज के अध्यक्ष द्वारा सोसायटी में बरती गई अनियमितताएँ

*17—श्री संखल बशर—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के अन्तर्गत माधोगंज प्राउन्ड नट क्रय-विक्रय समिति, माधोगंज के अध्यक्ष द्वारा सोसायटी के प्रति बर्ती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1980 को श्री प्रताप नरायन शुक्ल द्वारा दिया गया तथा प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री प्रताप नरायन शुक्ला, शिकायतकर्त्ता का एक शिकायती-पत्र, दिनांक 29 जून, 1980, जो माननीय सदस्य को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ था। इसकी जांच क्षेत्रीय लेखाधिकारी, लखनऊ द्वारा कराई गई। जांच करने पर निम्नलिखित शिकायतें सही पाई गईं—

(1) सर्वश्री लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी, आंकिक रामस्वरूप, चौकीदार और लल्लूराम, चपरासी की माधोगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति में नियुक्ति अनियमित है।

(2) श्री लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी, आंकिक समिति के भवन में बगैर किराया दिए रहते हैं।

(3) समिति की जमीन की अदला-बदली सम्बन्धी शिकायत की जांच से ज्ञात हुआ कि समिति के संचालक मन्डल का आचरण संदिग्ध है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35 के अन्तर्गत समिति की प्रबन्ध समिति को भंग करने, धारा 68 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करने और धारा 128 के अन्तर्गत समिति के प्रस्ताव को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर हरदोई में खाद्यान्न का आवंटन

*18—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि जनगणना के आधार पर नगर हरदोई की आबादी चौसठ हजार है जबकि खाद्य विभाग एक लाख आठ हजार यूनिट का खाद्यान्न देता है ? यदि हां, तो 44 हजार यूनिट का खाद्यान्न किसको दिया जाता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार हरदोई नगर की जनसंख्या 46,639 थी, परन्तु विगत दस वर्षों में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके अनुसार वर्तमान समय में हरदोई नगर की यूनिट संख्या 96039 है। अतएव, वर्तमान जनसंख्या के आधार पर तथा वर्तमान राशन दर अर्थात् अधिकतम 6 कि0 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से हरदोई नगर की गेहूं की मांग 558 मै0 टन बनती है, जिसके विरुद्ध पिछले 3 महीनों से इस जनपद के लिए 210 मै0 टन का आवंटन प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न आवश्यकता से अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में मरीजों हेतु एक्स-रे

*19--श्री किरन पाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि जिला राजकीय चिकित्सालय, बुलन्दशहर में एक्स-रे की सभी सुविधायें उपलब्ध होने के बाद भी पिछले चार महीनों से मरीजों के एक्स-रे चित्र नहीं लिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से हो रहा है ?

श्री लोकपति--

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में प्रश्न की तिथि से पिछले चार महीनों में मरीजों के एक्स-रे बराबर होते रहे हैं ।

फिजियोथिरेपिस्ट और रिफेक्सनिस्ट के पद पर समान वेतन की मांग

*20--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फिजियोथिरेपिस्ट और रिफेक्सनिस्ट के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण समान है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि दोनों के वेतनमानों में कितना अन्तर है ? क्या सरकार वेतन क्रम के अन्तर को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, फिजियोथिरेपिस्ट पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता इन्टर साइन्स (बायलोजी) तथा फिजियोथिरेपिस्ट का 2 वर्षीय डिप्लोमा है तथा रिफेक्सनिस्ट की शैक्षिक योग्यता इन्टर साइन्स तथा आप्ट्रोमेस्ट्री में 2 वर्षीय डिप्लोमा है । फिजियोथिरेपिस्ट का वर्तमान वेतनमान 350-700 तथा रिफेक्सनिस्ट का वेतनमान 230-385 है । रिफेक्सनिस्ट का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्ट के समान किये जाने की मांग विचाराधीन है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खांडसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित चीनी पर लगाई गई लेवी

**1--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खांडसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित चीनी पर सरकार द्वारा लेवी लगाने का ऐलान हाल में ही (पिछले पखवारे में) किया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां । सरकार ने 31 जनवरी, 1981 से भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करके खांडसारी चीनी पर लेवी लगाई है जिसके अनुसार खांडसारी चीनी के उत्पादक को अपने फर्स्ट प्रासेस द्वारा उत्पादन का 50% भाग सरकार को 320 रु0 प्रति कुन्टल की दर से बेचना होगा । उक्त मूल्य में उत्पादन स्थान से क्रय केन्द्र तक संचरण व्यय तथा टैक्स सहित आनुषांगिक व्यय आदि शामिल होंगे । लेवी से प्राप्त खांडसारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को 3.50 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का विचार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 31 जनवरी, 1981 से लेवी लगायी गई है। मैं उनका ध्यान उनके विभाग से जारी किये गये टेलेक्स नम्बर एस-1654/29-8-एस-60-81, डेटेड लखनऊ, 6 मार्च, 1981 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें निदेश दिये गये हैं कि लेवी शैल बी इम्पोज्ड आन लाइसेन्सेस कैपेसिटी ओनली ऐज लेड डाउन इन रूल 13 ए आफ दि उत्तर प्रदेश शुगर केन (परचेजेज टैक्स) रूल, 1961 दि स्टौक्स वेरीफाइड आन दिसम्बर थर्टी नाइनटीन एट्टी विल हैव नो बियरिंग आन क्वानटम आफ लेवी आन लाइसेन्स कैपेसिटी शैल बी पेड फार काउन्टिंग डन फ्राम दिसम्बर, फर्स्ट, 1980 एन्ड दस लेवी शैल बी कलेक्टेड फार दिसम्बर, 1980 जनवरी, फरवरी एन्ड मार्च, 1981।

इसका मान्यवर, मतलब यह है कि जो लेवी ली जायेगी वह लाइसेन्स आर्डर के अनुसार ही ली जायेगी और उनके स्टाक भी वेरीफ ई कर लिए गए लेकिन इन से लेवी लिया जाना दिसम्बर 11 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो टेलेक्स गया है, 7 मार्च को, उसमें लिखा है कि दिसम्बर में लिया जायगा। इसका क्या औचित्य है? अब मान्यवर, अधिकांश स्थानों पर यह होगा कि 31 जनवरी तक स्टाक पोजीशन ले ली गई तो क्या वह खरीदकर उसे लेवी देगा? जरा इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें, मान्यवर।

श्री वासुदेव सिंह—

1-12-80 से कई इकाइयों ने टैक्स भी दिया हैं इसलिए उसी तारीख से लेवी का शुल्क लगाना उचित समझा गया। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप देख लें, माननीय मुख्य मंत्री जी भी कृपा कर ध्यान दें कि यह जो टेलेक्स है उसमें स्पष्ट लिखा है और आदेश जारी होता है 31 जनवरी से। मैंने साफ सवाल किया है कि इस बात का क्या औचित्य है, दिसम्बर से लेवी क्यों ली जायेगी? यह वैधानिक मामला है और इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो चुका है। दिसम्बर का माल वह बेच चुके हैं। इसका स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने जो उच्चतम न्यायालय की बात कही तो उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन किया है कि..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं कि इसके आर्डर में जो विसंगति है उसके बारे में बतायें।

श्री वासुदेव सिंह---

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसका समर्थन किया है और अनुमोदन किया है ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमान्, जहां तक मेरी सूचना है, अगर गलत हो तो माननीय मंत्री जी कहेंगे । इन लेवी प्लान्ट्स के ऊपर जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि टैक्स लगता है । एक्स इज ड्यूटी और परचेज टैक्स लगता है तो क्या आधार बनाया है मंत्री जी ने कि कितना प्रोड्यूस हो और कितना परसेन्ट उस पर टैक्स हो । उनकी ग्रेडीफिकेशन जो है, 5-6 किस्म के ग्रेड की चीनी होती है जो प्रोड्यूस की जाती है । कोई भ्रष्टाचार उसके ग्रेड में न हो पाये इस चीज के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री वासुदेव सिंह---

इसमें पिछले साल--78 और 79 में 25·61 लाख क्विंटल 79-80 में 24·77 लाख क्विंटल इन्होंने लेवी दी और इस वर्ष हम समझते हैं मार्च 31 तक दो लाख क्विंटल की चीनी का उत्पादन होगा जिसमें से एक लाख हम लेंगे और जनता में बांटेंगे ।

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो सरकार ने छूट दे रखी है चीनी मिलों को मुफ्त चीनी बाजार में बेचने के लिए और दूसरी ओर छोटी इकाईयों पर उन्होंने लेवी लगाई है । मैं जानना चाहता हूं कि जब जो चीनी मिलें हैं वे प्रदेश की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं तो आखिरकार छोटे उद्योगों पर लेवी लगाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, चीनी मिलों से हम 65 में ले रहे हैं और इनसे 50 में ले रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

लेवी लगाई इसका कोई विरोध नहीं है । लेकिन मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि लेवी लगाने का आदेश 31 जनवरी से लागू होने से व्यापारी उसके पहले का अपना स्टाक बेच चुके हैं, स्टाक निकाल चुके हैं । रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से जो चीनी उनके पास नहीं है उस पर लेवी लगाई जाने का परिणाम यह हो रहा है कि बहुत सी इकाईयां बन्द हो रही हैं । उसी तरह काश्तकार से गन्ना भी खरीदा जायगा । काश्तकार को जो कीमत मिलती थी वह बन्द हो जायगी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी कि 31 जनवरी से जो आदेश लागू हुआ है 31 जनवरी के ही स्टाक पर लेवी ली जाय ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर पुनर्विचार कर लिया जायगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, 74-75 में जब लेवी सरकार ने लगाई थी उस वर्ष दाम क्या थे चीनी के और इस वक्त सरकार ने क्या रखे हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस वक्त जो लेवी लगाई गई थी उस की अपेक्षा अब गन्ने का दाम और दूसरी चीजों का दाम लगभग दुगुना ज्यादा हो गया है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चीनी लेवी आप की है जिस के द्वारा खरीद हो रही है उस को समुचित रूप में बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

पुनर्विचार की बात हो गई।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लेवी लगाई गई है उसे सख्ती के साथ वसूल किया जायगा और जो लोग उसमें व्यवधान डालेंगे उनके खिलाफ नेशनल सिक्यूरिटी ऐक्ट के अन्दर कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य के मुंह में घी शक्कर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर में यह दिया हुआ है कि चीनी ली जायगी 320 रुपये में, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह आपके माध्यम से बेची जायगी 350 रुपये में अर्थात् एक कुन्तल में 30 रुपये का प्राफिट होगा। 320 रुपये में हैण्डलिंग चारजेज मिले हैं अर्थात् सेन्टर से ले कर पी० सी० एफ० अपने गोदाम में ले जाय और बिक्रेताओं को दे। मात्र इसके लिए तीस रुपये का प्राफिट उनको दिया। इसका क्या औचित्य है। इसका वेरिफिकेशन किया है कि इस काम पर कितना खर्च है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि 30 रुपया मारजिन ज्यादा है इसको दस रुपया कर दिया जाय।

श्री वासुदेव सिंह--

यह हमारी पूर्व जो योजना है उसीके अधीन हमने विचार कर के यह निश्चय लिया है कि जो चीनी और खाण्डसारी की अपर्याप्तता है, सूबे में जन जीवन ग्रस्त है (व्यवधान) उसीमें आ रहा हूं। इसमें सरकार को करोड़ों रुपये का खर्च करना पड़ेगा। हमको कोई कठिनाई नहीं है। सारी व्यवस्था हो गई है। संचरण, ढुलाई की जो बात आपने कही है इस पर सारा विचार हो चुका है और कोई ऐसी चीज माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं जिस पर हम लोगों ने सम्यक् विचार न किया हो।

डा० आर० एस० तिवारी, अधीक्षक, गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल के विरुद्ध शिकायतें

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 जनवरी, 1981 या उसके आस-पास के० जी० मेडिकल कालेज के क्लीनिकल विभागों के विभागाध्यक्षों

ने गांधी मेमोरियल ऐण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल के अधीक्षक (डा० आर० एस० तिवारी) के विरुद्ध श्री राज्यपाल, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति तथा मुख्य मन्त्री को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें उक्त अधीक्षक के विरुद्ध पक्षपात भ्रष्टाचार तथा कुव्यवस्था के आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के क्लीनिकल विभागों के विभागाध्यक्षों एवं कुछ वरिष्ठ अध्यापकों से मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डा० आर० एस० तिवारी, अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं :--

(1) बिना चिकित्सालय प्रशासन के अनुभव के डा० आर० एस० तिवारी को प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स में से लेकर अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

(2) डा० तिवारी की कार्यप्रणाली के कारण इस चिकित्सालय में कोई प्रशासन नहीं रहा और इससे अस्पताल के विभिन्न प्रभागों का दिन-प्रतिदिन का कार्य अवरुद्ध हो गया है ।

इस शिकायती पत्र के आधार पर कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे विज्ञापन में जो आरोप हैं उनमें दो का जिक्र तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कर दिया । लेकिन क्या यह भी आरोप है कि किसी महिला के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था और स्टाफ के दो व्यक्तियों को जिन्होंने महिला पेशेंट के साथ अश्लील व्यवहार किया था उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया था ?

श्री लोकपति--

लिखित में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह जो आख्या कुलपति लखनऊ विश्वद्यालय से मांगी गयी है तो यह आख्या कब तक प्राप्त हो जायेगी और आख्या के आधार पर कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति--

जैसे ही कुलपति से प्राप्त हो जायेगी वैसे ही कार्यवाही हो जायेगी ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय माप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

नौगढ़ तहसील, बस्ती तथा अन्य विकास खन्डों में सीमेन्ट का वितरण

1--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नौगढ़ तहसील बस्ती में जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 के दरम्यान कितनी सीमेंट दी गई तथा जोगिया विकास खंड के प्रत्येक न्याय पंचायत को कितनी सीमेन्ट दी गई तथा टड़िया बाजार, पटखौली, नगपरा न्याय पंचायतों में किन व्यक्तियों को सीमेन्ट का वितरण किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

नौगढ़ तहसील बस्ती में प्रश्नगत अवधि में 19016 बोरी सीमेन्ट दी गई जोगिया विकास खंड के प्रत्येक न्याय पंचायतों को दी गई सीमेन्ट का विवरण निम्नवत् है—

1--जोगिया		500 बोरी
2--देउरा		505 बोरी
3--हकौली		548 बोरी
4--नगपरा		562 बोरी
5--जम्हरिया		500 बोरी
6--संतीरा		515 बोरी
7--जखबलिया		485 बोरी
8--महला		425 बोरी
9--टड़िया बाजार		615 बोरी
10--पटखौली		620 बोरी
	योग ..	5,275 बोरी

न्याय पंचायत टड़िया बाजार के 49, पटखौली के 46 तथा नगपरा के 51 व्यक्तियों को सीमेन्ट का वितरण किया गया जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 59 पर) ।

2--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की गांव सभाओं में जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति तथा आरक्षण कोटा

3--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31-12-1980 तक जनपद फैजाबाद में कितनी गांव सभाओं में कितने जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गयी है ?

और कितनी गांव सभाओं में नियुक्ति करनी बाकी है इनमें हरिजनों के आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विकास खंड मिल्कीपुर, हरिगनगंज और अमानीगंज (खंडासा) में आरक्षण का प्रतिशत क्या है ?

श्री लोकपति—

जनपद फैजाबाद में कुल 1844 ग्राम सभाएं हैं जिनमें 1706 ग्राम सभाओं में जन स्वास्थ्य रक्षकों की कार्यरत संख्या 1784 है । अभी 138 ग्राम सभाओं के अन्तर्गत 134 जन स्वास्थ्य रक्षक कायरत नहीं हैं जिनका चयन होना शेष है ।

इस योजनान्तर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों के निमित्त हरिजनों के आरक्षण का कोई कोटा नहीं है । अतः प्रश्नगत विकास खंडों में आरक्षण के कोटे के प्रतिशत को इंगित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों का आवंटन

4—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-4-80 से दिसम्बर, 1980 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कितने भवन बनाकर तथा प्लाट डेवलप करके विभिन्न योजनाओं में नागरिकों को दिये हैं ? उससे कितना रुपया मिला और उक्त अवधि में उनके बनाने पर किसना व्यय हुआ है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा 1-4-80 ते 31-12-80 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं में बनाये गये भवनों एवं विकसित किये गये भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिए 329 भवन ।

2—अल्प आय वर्ग के लिए 219 भवन ।

3—मध्यम आय वर्ग के लिए 42 भवन ।

4—साईट एण्ड सर्विसेज के 146 भुखण्ड ।

इनसे 79,18,217 रुपये की आय हुई ओर उसके निर्माण पर 94,98,000 रुपये व्यय हुआ । शेष धनराशि किस्तों में वसूल की जायेगी ।

कस्बा टांडा, जनपद फैजाबाद में टी0 बी0 अस्पताल खोलने का विचार

5—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कस्बा टांडा, जनपद फैजाबाद में टी0 बी0 अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10-10-80 को क्षेत्रीय प्रतिनिधि विधान सभा द्वारा भेजा गया कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टिगत् करते हुये उक्त स्थान पर टी० बी० अस्पताल खोलने का औचित्य नहीं है ।

बिल्हौर, जनपद कानपुर में फर्जी चीनी के परमिट

6--श्री मोती लाल बेहलवी--

प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को सदन में नियम 301 के अन्तर्गत उठाये गये प्रश्न के उत्तर में शा० प० सं०-श-9593 क, उन्तस आठ नियम 301-चीनी-45-80, दिनांकित 25 अक्तूबर, 1980 के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिल्हौर जनपद कानपुर में 105 बोरी चीनी जिन फर्जी परमिटों पर उठाई गई है, वह परमिट किस-किस के नाम के है और उन परमिटों पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब से करायी जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

105 बोरी चीनी जिन फर्जी परमिटों पर उठाई गई उन पर नाम निम्नांकित व्यक्तियों के हैं :--

		कुन्तल
(1) श्री मदन गोपाल, बिल्हौर	..	29
(2) श्री राम प्रकाश गुप्त, ककवन	..	27
(3) श्री राधे श्याम, ककवन	..	20
(4) श्री राम गुलाम, ककवन	..	29
योग	..	105

इन परमिटों पर श्री उदय शंकर पान्डेय, तत्कालीन तहसीलदार, बिल्हौर के हस्ताक्षर हैं, जो फर्जी कहे जाते हैं ।

तहसीलदार बिल्हौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29-9-80 की प्रारम्भिक विवेचना थाना बाबू पुरवा के एस० एस० आई० श्री श्रीकृष्ण गुप्ता ने की तदुपरान्त ए०१० एस० पी० कानपुर के आदेश, दिनांक 17-1-81 द्वारा इस मामले को जांच एस० आई० एस० कर रहे हैं ।

हरदोई केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार में सेल्समैन की नियुक्ति

5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार द्वारा जन वितरण प्रणाली को लागू करने के लिये दस-दस हजार रुपया जमाकर सेल्समैन के रूप में लोगों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हरदोई केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, हरदोई में जमानत के रूप में दस-दस हजार रुपया जमा कराकर लोगों को बिक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया।

भण्डार में इस तरह अनियमित रूप से रखे गये कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध घोषित कर दी गई हैं और भण्डार ने अधिकांश सम्बन्धित कर्मचारियों की जमाशुदा दस-दस हजार रुपया की जमानत धनराशि में से 1,000 रुपया की नियमित जमानत की धनराशि छोड़कर शेष धनराशि को वापस कर दिया गया है। भण्डार की प्रबन्ध कमेटी की गम्भीर अनियमितताओं के कारण उपनिबन्धक (केन्द्रीय), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या 7908-14/निबन्धक दिनांक 26-2-1981 द्वारा निलम्बित कर दिवा गया है तथा भण्डार में नियुक्त प्रशासक ने दिनांक 27-2-1981 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। भण्डार की प्रबन्ध कमेटी के विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-35 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

8—श्री विजय सिंह राना—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में प्रशिक्षित दाईयां तथा उनका प्रशिक्षण भत्ता

9—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के अन्तर्गत कितनी दाइयों ने ट्रेनिंग किया है? क्या प्रशिक्षित दवाइयों को उनके प्रशिक्षण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति—

56 दाइयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से 20 को प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया जा सका, क्योंकि संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कैश चेस्ट से धनराशि चोरी हो गई थी?

गोंडा जिले में खारिज व निलम्बित किये गये चीनी के लाइसेन्स तथा नये लाइसेन्स के सरकारी आदेश

10—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में सन् 80 के वर्ष में कितने चीनी के लाइसेन्स खारिज किये गये और कितने निलम्बित किये गये?

श्री वासुदेव सिंह—

गोंडा जिले में प्रश्नगत अवधि में कुल 33 चीनी के लाइसेन्स खारिज किये गये तथा 91 लाइसेन्स निलम्बित किये गये।

11—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 ई0 में कितने चीनी के नये लाइसेंस गोंडा जिले में दिये गये ? साथ ही क्या यह सही है कि जो उक्त नये लाइसेंस दिये गये हैं उनमें सरकारी आदेश व नियमों का पालन नहीं हुआ है ?

श्री वासुदेव सिंह--

गोंडा जिले में प्रश्नगत अवधि में कुल 118 चीनी के नये लाइसेन्स दिये गये। इनमें सरकारी आदेश व नियमों का पालन किया गया है।

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में सीमेन्ट का वितरण

12--श्री पंचानन--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक की जनता में वितरण हेतु काशी प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद दोहरीघाट के पास लगभग 500 बोरी सीमेन्ट 29-11-80 को आयी थी तथा इस उक्त ब्लाक की जनता में वितरित नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसके वितरण का आदेश कब किस अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया और उक्त सीमेंट कहां गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

काशी प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद दोहरीघाट नाम का जनपद आजमगढ़ में कोई सीमेन्ट लाइसेन्सी नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर में सीवर लाइन का कार्य

13--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ नगर में फ्लश की टट्टियों के लिये सीवर लाइन बिछाने का काम कब तक पूरा हो जाना था और उसमें से अब तक कितना पूरा हो पाया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मेरठ नगर में विभिन्न सीवर योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित 69 कि0 मी0 सीवर लाइन में से 63 कि0 मी0 सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है। अवशेष 6 कि0 मी0 सीवर लाइन भी डाली जा चुकी है, परन्तु पम्पिंग स्टेशन का कार्य निर्माणाधीन है। पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूरा होने पर इस सीवर लाइन को भी उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा चालू करके नगरपालिका मेरठ को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

आनन्दपुरी, मेरठ में विचाराधीन सीवर लाइन योजना

14--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या यह सच है कि आनन्दपुरी में सीवर की मेन लाइन डाल दी गई है किन्तु सभी गलियों में शाखा लाइनें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं जिसके कारण नगरपालिका को घाटा पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

आनन्दपुरी के लिये सीवर लाइन योजना विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय सेवा में कार्यरत डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर रोक

15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से राजकीय सेवा के डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर लगने वाली पाबन्दी फिलहाल रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सरकारी डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर 1 मार्च, 1978 से पाबन्दी लगाई गई थी । यह पाबन्दी अभी भी जारी है ।

16-17--श्री राम आसरे वर्मा--

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बाराबंकी के मुख्य तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री ने सितम्बर, 1980 में बाराबंकी के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा तीनों उप मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं बालरोग विशेषज्ञ डा0 गोपाल स्वरूप का तुरन्त तबादला करने के लिये स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने प्रशासन को लिखा था ? यदि हां, तो किन कारणों से आदेश का पालन अब तक नहीं हो पाया ? क्या यह सत्य है कि वर्णित अधिकारियों के विषय में अनेक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी डा0 बृज नारायण के स्थानान्तरण आदेश नवम्बर, 1980 में जारी कर दिये गये थे, परन्तु बाद में इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण आदेश को जून, 1981 तक स्थगित किया गया है । सितम्बर, 1980 में उक्त जनपद में केवल दो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात थे । इनमें से एक डा0 सी0 बी0 सिंह के स्थानान्तरण आदेश जून, 1980 में जारी कर दिये गये थे परन्तु कतिपय प्रशासनिक कारणों से उन्हें अभीतक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है । दूसरे डा0 सी0 बी0 सिंह के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच पहले करा ली जाय । तदनुसार संयुक्त निदेशक, फैजाबाद मंडल जांच कर रहे हैं । डा0 गोपाल स्वरूप, बालरोग विशेषज्ञ के स्थानान्तरण आदेश सितम्बर, 1980 में जारी कर दिये गये थे, परन्तु बाद में उनकी पारिवारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

उक्त अधिकारियों के विरुद्ध दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच संयुक्त निदेशक, फैजाबाद मंडल कर रहे हैं ।

शासन द्वारा फिलहाल यह भी निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल, 1981 तक स्थानान्तरण न किये जायों ।

गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज व मिठौरा के सरकारी सस्ते गल्ले तथा चीनी कोटेदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19--श्री फिरंगी प्रशाद विशारद--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज व मिठौरा के किन-किन सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता ने माह सितम्बर, 1980 से माह दिसम्बर, 1980 तक शिकायतें भेजी हैं ? क्या इसमें श्री प्रेम प्रकाश गुप्त, इसकी मां व इसके भांजे के विरुद्ध भी कोई शिकायत रही है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्ता से गोरखपुर के ब्लाक महराजगंज व मिठौरा के सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी कोटेदारों के संबंध में एक-एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती पत्र श्री प्रेम प्रकाश, इनकी मां तथा इनके भान्जे के संबंध में था । शिकायती पत्र प्राप्त होने के पूर्व श्री प्रेम प्रकाश की मां श्रीमती दुलारी देवी की दुकान निरस्त की जा चुकी थी । शिकायती पत्र प्राप्त होने पर श्री प्रेम प्रकाश तथा इनके भान्जे की दुकानों की जांच की गई और माह दिसम्बर, 1980 के विवरण से अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

इसी प्रकार मिठौरा क्षेत्र के खजुरिया अदालत पंचायत के करमअली तथा उनके पुत्र रहमतुल्लाह के विरुद्ध भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत मिलने के पूर्व ही 25-12-80 को दुकान निरस्त की जा चुकी थी ।

न्याय पंचायत रसुलहा, ब्लाक रामनगर, जिला जौनपुर के सस्ते गल्ले एवं चीनी के दुकानदार द्वारा चीनी की चोरबाजारी तथा जांच

*20--श्री ऊबल--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत रसुलहा ब्लाक रामनगर जिला जौनपुर की सस्ते गल्ले एवं चीनी के दुकानदार नेवढ़िया जो हरगेंद पुत्र भोला गांव तिरगा के नाम थी उसकी जांच तारीख 4 जनवरी, 1981 को अवध नाथ उपाध्याय, जिला पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, जौनपुर ने फरीदीन पूर्ति निरीक्षक के साथ किया था और उक्त दुकान के अन्दर से चीनी 90,200 के0 जी0 तथा मिट्टी का तेल 3 ड्रम 600 लीटर अपने कब्जे में लेकर सुपुर्दगार को दे दिया और नेवदिया थाना जिला जौनपुर में एक रिपोर्ट अ0 संख्या 2 सन् 1981 धारा 3/7 की हरगेंद तथा उसके लड़के राम बिलास के खिलाफ लिखायी गई जिसकी वजह से राम बिलास को उसी दिन पुलिस ने पकड़ कर धारा 3/7 में चालान कर दिया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । न्याय पंचायत रसुलहा ब्लाक रामनगर जनपद जौनपुर के सस्ते गल्ले एवं चीनी के दुकानदार द्वारा चीनी चोरबाजारी में बेचे जाने की विश्वस्त सूत्र से सूचना मिलने पर श्री अवध नाथ उपाध्याय तथा फरीदीन पूर्ति निरीक्षक मौके पर जांच हेतु दिनांक 4 जनवरी, 1981 को श्री हरगेंद राम पुत्र भोला नाथ उपरोक्त न्याय पंचायत केन्द्र नेवढ़िया बाजार गयें । जांच समक्ष गवाहान श्री लाल चन्द दुबे पुत्र राम मनोहर सा0 नेवढ़िया तथा श्री पुदई राम पुत्र कन्हई सा0 तिलंगा के की गयी । दुकान पर श्री राम बिलास पुत्र हरगेन कार्यरत मिले जिनसे चीनी का स्टाक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर जांच हेतु मांगा गया जो दिखाने में असमंथता प्रकट किया । दुकान के अन्दर चीनी का स्टाक 90 किलो तथा 60 लीटर मिट्टी का तेल स्टाक उपलब्ध मिला और स्टाक रहते दुकान पर स्टाक व रेट बोर्ड प्रदर्शित नहीं मिला जबकि दुकान खुली थी और स्टाक भी उपलब्ध रहा । दुकान खुली रहने पर स्टाक व सेल रजिस्टर चीनी व मिट्टी तेल का न रखना या जांच हेतु उपलब्ध न कराया जाना अवैधानिक है । इस प्रकार स्टाक व सेल्स रजिस्टर न देने से शिकायत की पुष्टि होती है कि दुकानदार ने चीनी का वितरण सही ढंग से नहीं किया है और दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना नेवढ़िया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जो जेरे तफसीस में हैं । फर्द पर श्री राम बिलास के हस्ताक्षर भी हैं ।

21—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि दुकानदार हरगेंद पुत्र भोला उस वक्त दुकान पर नहीं था ? यदि हां, तो उसके लड़के राम बिलास को किस आधार पर 3/7 में गिरफ्तार किया गया ? जिस स्टाक को (चीनी, मिट्टी का तेल) अपने कब्जे में लेकर रिपोर्ट की गयी और सुपुर्दगी र को दिया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि कितनी चीनी और कितना मिट्टी का तेल उक्त दुकानदार को कब किस माह में दिया गया और क्या इसकी जांच की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

दुकान खुली थी तथा दुकान में स्टाक चीनी व मिट्टी का तेल बिक्री हेतु उपलब्ध रहा तथा दुकान से श्री हरगेंद राम सूचना पाकर जांच कराने के डर से भाग गये । दुकान पर श्री राम बिलास कार्य करते पाये गये तथा लोगों ने बताया कि श्री राम बिलास भी दुकान पर लिखने पढ़ने तथा बिक्री का कार्य करते हैं । इस कारण श्री राम बिलास को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । दुकानदार को निम्नलिखित माह में चीनी व मिट्टी तेल निम्न मात्रा में वितरण हेतु दिया गया है—

	चावल	चीनी	मिट्टी तेल
1		2	3
	कुन्तल	कुन्तल	लीटर
मार्च, 1980	30	6	600
अप्रैल, 1980		4	600

1	2	3
	कुन्तल	लीटर
मई, 1980	4	600
जून, 1980	5	..
जुलाई, 1980	2	600
अगस्त, 1980	6	..
सितम्बर, 1980	6	..
अक्तूबर, 1980	..	..
नवम्बर, 1980	5	600
दिसम्बर, 1980	5	600

नियमानुसार लाइसेन्सी या लाइसेन्सी के स्थान पर कोई कार्य करने वाला भी दन्ड का भागी होता है । चूंकि दुकान पर श्री राम बिलास मौजूद मिले इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच तथा श्री हरिनन्दन सिंह का प्रार्थना-पत्र

22--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति सहित माननीय मन्त्री जी को दिनांक 19 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

23--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में श्री हरिनन्दन सिंह 134-ए ,बारहशफा, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति सहित दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को आवास सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से जांच कराकर अपेक्षा प्राप्त की गयी है और क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु नगर का सर्वे कराने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में संदर्भ लिपिकों की पदोन्नति

24--श्री मसरूर जाफरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में वर्ष 1976 में संदर्भ लिपिक में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं और उसके अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थियों को पदोन्नति किया गया ? यदि कोई नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्यालय पर वर्ष 1976 में संदर्भ लिपिक के 14 पदों पर पदोन्नतियां की गई, जिसमें अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं था, क्योंकि अनुसूचित जाति का कोई पात्र अभ्यर्थी उस वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका ।

गोंडा जिले में शक्कर के दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के के अन्तर्गत मुकदमें

25--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में 1980 में कितनी शक्कर के दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें कायम हुये ? कितने मुकदमों में अभियुक्तों को जेल भेजा गया ? कितने मुकदमों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ? और उसका क्या कारण है ?

श्री बासुदेव सिंह--

गोंडा जिले में वर्ष 1980 में 63 शक्कर के दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें कायम हुये । 55 अभियुक्तों को जेल भेजा गया । 5 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा शेष की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है ।

नगरपालिका करनैलगंज, जिला गोंडा में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना

26--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करग कि गोंडा जनपद की नगरपालिका करनैलगंज में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस नगर में महिला चिकित्सालय खोलने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करनैलगंज, जिला गोंडा को उच्चीकृत करन हेतु 23,39,500 रु0 की लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में प्रदान कर दी गई है । प्रस्तावित भवन में महिला कक्ष की व्यवस्था है व इसके हेतु स्टाफ में भी एक महिला चिकित्सक की व्यवस्था है ।

जनपद बांदा में पेयजल की समस्या

27--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा जनपद के उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है, जहां पीन का पानी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उन ग्रामों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

वर्ष 1972 में जल निगम (तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण) द्वारा जनपद बांदा का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 650 ग्राम पेयजल से अभावग्रस्त पाये गये थे । मार्च 1980 तक इन ग्रामों में से 222 ग्रामों में विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, 185 ग्रामों के लिये योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं, इनमें से 76 ग्रामों को वर्ष 1980-81 में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । अवशेष 263 ग्रामों में से 22 ग्रामों में योजना विरचित की जा चुकी है तथा अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण एवं योजना का विरचन आगामी वर्षों में प्रस्तावित है ।

अभावग्रस्त क्षेत्रों (ब्लाकों) के नाम संलग्न सूची में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 65 पर ।)

बांदा नगर की स्वीकृत सीवर योजना का निर्माण

28--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने बांदा नगर के लिये सीवर योजना की स्वीकृति की घोषणा कर दी थी ? क्या मार्च, 77 में सीवर योजना निर्माण हेतु एक लाख रुपये भी जल निगम, बांदा को भेज दिया गया था ? और क्या जुलाई, 77 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ने इस योजना को रद्द कर दिया था तथा एक लाख रुपया भी वापस कर लिया ? क्या सरकार ने अब बांदा नगर में सीवर योजना स्वीकृत कर ली है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

बांदा नगर की सीवर योजना, अनुमानित लागत रु0 37.50 लाख, वर्ष 1976-77 में तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा स्वीकृति की गई थी । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई थी, परन्तु योजना को पुनरीक्षित किये जाने के कारण इस पर कार्य नहीं किया गया । प्रश्नगत रु0 1.00 लाख की धनराशि वापस नहीं ली गई ।

वर्तमान में बांदा शहर के लिये उक्त सीवर योजना को, पुनरीक्षित करके, जिसकी अनुमानित लागत रु0 90.00 लाख की है, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृति दी जा चुकी है । वर्ष 1981-82 में बजट प्राविधान भी किया जा रहा है, परन्तु अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति अपेक्षित है ।

29—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं के टाउन कुंवरगांव में चिकित्सालय का निर्माण

30—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के टाउन एरिया कुंवरगांव में चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा कब दी गयी तथा चिकित्सालय बनाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत चिकित्सालय ग्राम कासिमपुर जनपद बदायूं से वर्ष 1947 में कुंवरगांव में स्थानान्तरित किया गया था। इसके भवन निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं की गई है अतः प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बदायूं तथा नगरपालिका उझियानी के वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं पर अवशेष धनराशि

31—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका बदायूं व नगर पालिका उझियानी (जनपद बदायूं) में वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के ऊपर कितना धनराशि 21-1-81 तक शेष है और उस धनराशि में से कितनी धनराशि आम जनता के ऊपर है और कितनी-कितनी सरकारी विभागों पर और उन विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर है ? इस धनराशि को वसूल करने में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की और उपरोक्त नगरपालिकाओं पर जल निगम एवं सरकार का कितना धन देय है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दिनांक 21-1-1981 तक नगर पालिका बदायूं और नगर पालिका उझियानी (जिला बदायूं) में वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के ऊपर निम्न धनराशियां अवशेष हैं—

	रु0
नगर पालिका बदायूं	41,09,195·00
नगर पालिका उझियानी	2,09,532·31

उक्त धनराशियों में से निम्नलिखित धनराशियां आम जनता पर, सरकारी विभागों पर, उन विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अवशेष है।

नगर पालिका बदायूं—

	रु0
आम जनता पर अवशेष	23,70,125·00
सरकारी विभागों पर अवशेष	16,89,752·00
सार्वजनिक निर्माण विभाग क्वार्टर्स में रहने वाले स्थानान्तरित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर अवशेष	49,338·00

नगर पालिका उझियानी—

आम जनता पर अवशेष	2,04,243·45
सरकारी विभागों पर अवशेष	4,842·08
स्थानान्तरित पुलिस अधिकारियों पर अवशेष	446·78

उक्त वसूली हेतु इन स्थानीय निकायों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है एवं बिल/नोटिस जारी किये गये हैं।

उक्त दोनों पालिकाओं पर जल निगम/एवं शासन की अधोलिखित धनराशियां देय हैं।

	रु0
(1) नगर पालिका बदायूं	15,53,430·00
(2) नगर पालिका उझियानी जल कल योजना हेतु ऋण	4,32,625·62
(3) नलकूप हेतु स्वीकृत ऋण	31,232·00

ये धनराशियां जल निगम ने उनको शासन से प्राप्त एक मुश्त धनराशि में से ऋण के रूप में दी।

नगर क्षेत्र समिति कुंवर गांव की पेयजल योजना

32—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की टाउन एरिया कुंवर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाटर वर्क्स बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई ? इस कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर क्षेत्र समिति कुंवर गांव की पेयजल योजना अनुमानित लागत 9·04 लाख रु0 विरचित हो कर जनवरी, 1981 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्राविधिक रूप से स्वीकृति हो गयी है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्ष 1981–82 में कार्य चालू किये जाने का अनुमान है। यदि सीमेन्ट आवश्यकता के अनुसार समय से प्राप्त होती रही तो योजना शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

गोपी चन्द्र अग्रवाल ठेकेदार द्वारा निर्माण खंड रायबरेली के कार्यालय में लोहे की सरियों की ढुलाई के कार्य का भुगतान

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1974 में भारत जन संख्या परियोजना निर्माण खंड जनपद रायबरेली के कार्यालय में लोहे की सरियो की ढुलाई का कार्य ठेकेदार (श्री मोती चन्द्र अग्रवाल) द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्धित बिलों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बिलों के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में ठेकेदार ने दिनांक 21–10–75 तथा दिनांक 6–4–77 को शासन तथा निदेशक निर्माण भारत जनसंख्या परियोजना लखनऊ को आवेदन पत्र भेजा था यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

श्री गोपी चन्द्र अग्रवाल, ठेकेदार द्वारा निर्माण खंड, रायबरेली के कार्यालय में लोहे की सरियों की ढुलाई का कार्य किया गया था। इसके लिए भुगतान के सम्बन्ध में उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । चूंकि निर्माण खंड में सामान की कुछ कमी पाई गई थी अतः ठेकेदार को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार को देय धनराशि के भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ में संयुक्त सचिव का रिक्त पद

34--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (लि0) लखनऊ (पी0 सी0 यू0) में मार्च, 1980 से संयुक्त सचिव का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो इसको अब तक न भरने के कारण क्या है ? तथा कब तक उक्त पद पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ में संयुक्त सचिव के रिक्त पद भरे जाने का मामला यूनियन की प्रबन्ध समिति के समक्ष विचाराधीन है । उनके निर्णय के पश्चात् उक्त यूनियन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन के बबीना ग्राम में उच्च जलाशय का निर्माण

35--श्री शंकर सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में बबीना ग्राम में बनने वाली पेयजल की टंकी का कार्य क्यों बन्द पड़ा है ? यह कार्य कब तक शुरू होकर कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जनपद जालौन के बबीना ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे उच्च जलाशय को ठेकेदार बनाने में असमर्थ रहा । ठेका समाप्त करके विभागीय तौर पर जनवरी, 1981 से पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । यह कार्य जून, 1981 तक पूर्ण होने की आशा है ।

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में चीनी का आवंटन

36--श्री पंचानन--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में दिसम्बर, 1980 में जनता को कितनी चीनी वितरित की गयी है ? यदि चीनी का वितरण निर्धारित मात्रा के बराबर नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में दिसम्बर, 80 में 1053 कुन्तल चीनी का आवंटन किया गया है जिसमें 741 कुन्तल चीनी प्राप्त हो सकी जिसका वितरण जनता में कराया गया । अवशेष चीनी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में उपलब्ध न होने के कारण चीनी का वितरण निश्चित मात्रा के बराबर नहीं हो सका ।

झांसी नगर में अवैध कब्जा करके भवन का निर्माण

37--श्री राम लाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में दिनांक 12 जनवरी से 20 जनवरी, 1981 के बीच में मकान नम्बर 204 तालपुरा के सामने नगरमहापालिका की भूमि पर अवैध कब्जा करके भवन का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण करने वाले व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां, नगरपालिका, झांसी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति का चालान करके नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, झांसी के यहां भेज दिया गया है ।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों को स्थायी किए जाने सम्बन्धित शासनादेश

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के सम्बन्ध में 17 मार्च, 1980 को जारी किये गये शासनादेश के अन्तर्गत अब तक कितने कर्मचारी स्थायी किए गए ? यदि स्थायी नहीं किए गए, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

संदर्भित शासनादेश के अन्तर्गत अब तक 367 कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

मुहल्ला नरही, लखनऊ के श्री नरेश चन्द्र गुप्ता की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की चेकिंग तथा निरस्तीकरण के आदेश

39--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नरेश चन्द्र गुप्ता की मुहल्ला नरही, नगर लखनऊ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का रजिस्टर जब दिनांक 29-10-75 को जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के निरीक्षक ने वास्ते चेकिंग लिया था, तो उस रजिस्टर में क्या-क्या गड़बड़ी पाई गई थी और क्या उन गड़बड़ियों के आधार पर दूकानदार श्री नरेश चन्द्र गुप्ता को कोई आरोप-पत्र दिया गया था ? यदि हां तो पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री बासुदेव सिंह--

प्रश्नगत सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार के अभिलेख ततकालीन वरिष्ठ निरीक्षक, श्री बी० एन० शुक्ल द्वारा दिनांक 29-10-75 को प्राप्त किये गये थे। जांच के समय प्रश्नगत दुकानदार ने अपना बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाया, अन्यथा सत्यापन के समय ही कथित अनियमितताएं प्रकाश में आ जातीं, अतएव यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि उन अभिलेखों में क्या गड़बड़ी है तथा प्रश्नगत दुकानदार को कोई आरोप-पत्र भी दिया गया था, अथवा नहीं। जिलाधिकारी के यहां उपलब्ध रिकार्ड में प्रश्नगत दुकानदार का बिक्री रजिस्टर उपलब्ध नहीं है और न ही उपर्युक्त वरिष्ठ निरीक्षक की इस मामले में किसी जांच रिपोर्ट का ही वहां पर कोई उल्लेख है। उक्त निरीक्षक वर्तमान समय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर प्रतापगढ़ में तैनात है। अतएव, उनसे इस बारे में कोई पूछ-ताछ नहीं की जा सकी है।

40--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला नरही, नगर लखनऊ के श्री नरेश चन्द्र गुप्ता की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान दिनांक 31-8-74 से दिसम्बर, 75 तक कब-कब व कितनी बार किन-किन धाराओं के अन्तर्गत तथा किन-किन आरोपों के आधार पर निरस्त की गई और मंडल युक्त, लखनऊ ने कितनी बार अपने आदेश में क्या-क्या लिख कर इस दूकान के निरस्तीकरण को रद्द किया ?

श्री बासुदेव सिंह--

श्री नरेश चन्द्र गुप्ता मुहल्ला नरही नगर लखनऊ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान दिनांक 31-9-74 से दिसम्बर 1975 तक तथा दिनांक 1-3-75 एवं दिनांक 10-12-75 को कुल तीन बार धारा 16 के अन्तर्गत निरस्त की गई तथा मन्डलायुक्त लखनऊ ने प्रथम बार अपने आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1975 के द्वारा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 31-8-74 को निरस्त करते हुये प्रत्यावेदन स्वीकार किया। फिर पुनः जब निरस्तीकरण के आदेश धारा 16 में किए गए तो भी मन्डलायुक्त लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 6-6-75 के द्वारा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 1-3-75 को निरस्त करते हुये प्रत्यावेदन स्वीकार किया।

41-42--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुहल्ला लालबाग, लखनऊ के श्री बाल मुकुन्द पुजारी की दुकान में लगे हुये यूनिट

43--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बालमुकन्द पुजारी की मुहल्ला लालबाग (हजरतगंज एरिया), नगर लखनऊ में चल रही सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान में जनवरी, 1980 में राशनकार्डों के कुल कितने यूनिट लगे हुए थे और उक्त दूकानदार ने कब-कब कितने यूनिट सरेन्डर किए ? तथा जनवरी, 1981 की चेकिंग रिपोर्ट में कुल कितने यूनिट फर्जी पाये गये ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में माह जनवरी, 1980 में कुल 3789 यूनिट लगे हुए थे। संबंधित दूकानदार द्वारा इनमें से कोई भी यूनिट किसी भी समय 'सरेन्डर' नहीं किये गए। इस दुकान पर सम्बद्ध यूनिटों की जांच के दौरान कुल 2326 यूनिटें फर्जी पाई गई जो हटा दी गई हैं। वर्तमान समय में इस दुकान पर शेष यूनिटों की संख्या 1463 रह गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मदाबाद-गोहना आजमगढ़ के कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध श्री राम चरन राम द्वारा अनशन व मांगें

44--श्री पंचानन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1979 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदाबाद-गोहना, आजमगढ़ के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध स्थानीय नागरिक श्री राम चरन राम द्वारा अनशन किया गया था तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और उसके सम्बन्ध में 22 जनवरी, 1981 तक क्या कार्यवाही की गयी।

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर के कोल एजेन्टों द्वारा कोयले का वितरण

45--श्री मित्रसेन--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1980 तक मिर्जापुर के कोल एजेन्टों ने कितना-कितना कोयला उठाया था और उसका वितरण कहां-कहां किया? कोयला वितरण हेतु राज्य की नीति क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्तमान मुख्य अभियन्ता, नगरमहापालिका, लखनऊ का स्थानान्तरण

46--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता, नगर महापालिका, लखनऊ का स्थानान्तरण आदेश कई बार होने के बाद भी उसे कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वर्तमान मुख्य अभियन्ता, नगरमहापालिका लखनऊ का स्थानान्तरण एक बार गत वर्ष माह अगस्त में हुआ था परन्तु प्रशासक, नगरमहापालिका, इलाहाबाद/लखनऊ से इस सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

जनपद वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा कराये गये नसबन्दी आपरेशन

47—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में जून, 80 से लेकर 15 जनवरी, 1981 तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुषों एवं महिलाओं ने नसबन्दी करायी है ? क्या प्रत्येक पी० एस० सी० के हिसाब से एक तालिका सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति—

परिवार कल्याण कार्यक्रम में जनपद वाराणसी में प्रश्नगत अवधि में जिला मुख्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा कराये गए नसबन्दी आपरेशनों की तालिका संलग्न की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 66 पर ।)

पिंडरा, बड़ागांव, हरहुआ, चोलापुर में नसबन्दी आपरेशन पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली धनराशि का भुगतान

48—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक नसबन्दी में 30 रु० पुरस्कार बढ़ा दिया गया है जिससे पुरुषों को 110 रु० एवं महिलाओं का 125 रु० मिलना चाहिये ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पिंडरा, बड़ागांव, हरहुआ, चोलापुर तथा जिले की प्रत्येक पी० एस० सी० पर उक्त नसबन्दी कराने वालों का बढ़ा हुआ पैसा तुरन्त एवं अब तक भुगतान नहीं किया गया, इसका क्या कारण है और बढ़ी हुई दर की रकम सी० एम० ओ० या और किस अधिकारी के पास है जिसने भुगतान नहीं किया ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

प्रत्येक महिला एवं पुरुष को नसबन्दी आपरेशन कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली धनराशि 70 रु० से बढ़ाकर 100 रु० कर दी गई है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिडरा एवं चोलापुर में उक्त बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को किया जा चुका है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरहुआ बड़ा गांव तथा जनपद के अन्य चिकित्सालयों पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान जिन सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं किया गया है, उन्हें भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है और भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा । भुगतान न करने का कारण बढ़ी हुई 30 रु० की धनराशि के राज्यकोष से आहरण में विलम्ब होना था । उक्त बढ़ी हुई धनराशि प्रशासनिक अधिकारी के पास है ।

बलरामपुर के मेमोरियल अस्पताल में एक कम्पाउन्डर तथा कुछ शराबी गुन्डों द्वारा छेड़-छाड़

49--श्री चेतराम गंगवार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2-12-80 की रात्रि में बलरामपुर के मेमोरियल अस्पताल में एक कम्पाउन्डर तथा कुछ शराबी गुन्डों ने महिला वार्ड में घुसकर दो महिला बीमारों के साथ छेड़-छाड़ अथवा बलात्कार किया जिसकी रपट भी चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन डा० जेड० हसन साहब ने उसी रात्रि को बलरामपुर में लिखाई है ? यदि हां तो सारा मामला क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या, कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

50--श्री राम स्वरूप निम--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार में लगने वाले बाजार की तहबाजारी की टाउन एरिया कमेटी द्वारा वसूली

51--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार में लगने वाली मंडी की तहबाजारी जिलाधीश द्वारा वसूल कराये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा मांग की गई थी ? जिसके सम्बन्ध में शासन ने जिलाधिकारी, गोरखपुर से आ० शा० प० संख्या 2731-क/9-1-80 एवं 299-टी (295)/80 तथा 28-8-80 टेली प्रिंटर केस मैसेज द्वारा आख्या मांगी थी ? क्या यह सही है कि आज तक जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल आख्या मंगाकर नगर क्षेत्र समिति सीमा के अन्दर सड़कों के किनारे लगने वाली मंडी की तहबाजारी वसूल कराने की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर से शासन के पत्र संख्या 2713-टी/9-1-80-249-टी(295)-80, दिनांक 29 मई, 1980 के द्वारा आख्या मांगी गई थी तथा 10 जुलाई, 1980, 21 अगस्त, 1980 एवं 25 सितम्बर, 1980 को अनुस्मार भेजे गए हैं ।

जी हां ।

जिलाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे टाउन एरिया की सीमा में स्थित सार्वजनिक भूमि/सड़क पर लगने वाले बाजार की तहबाजारी टाउन एरिया कमेटी द्वारा वसूल किए जाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें ।

जिला सीतापुर की हरगांव मंडी में भण्डार गृह का निर्माण

52--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में हरगांव मंडी में कोई भंडार वेयर हाउसिंग द्वारा बनाया जा रहा है, वह कितनी लागत से बन रहा है और किसकी देखरेख में है क्या उसकी कोई शिकायत जनता द्वारा लिखित और मौखिक सरकार तक आयी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा हरगांव मंडी, जिला सीतापुर में कोई भण्डार गृह नहीं बनाया जा रहा है ।

श्री शिवमूरत सिंह, ग्राम प्रधान, गोरखपुर द्वारा पागल व्यक्ति के संबंध में जिलाधिकारी को दिया गया शिकायती पत्र

53--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री शिवमूरत सिंह, ग्राम प्रधान, खोराबार, जिला गोरखपुर ने सितम्बर सन् 80 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को किसी पागल व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा मानसिक रोगी श्री भगवान सिंह के रोग का परीक्षण किया गया । रोगी को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती के संबंध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा के विकास क्षेत्र अकोला के कतिपय गांवों में पानी की टंकियों का निर्माण

54--श्री विजय सिंह राना--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के विकास खंड अकोला के अन्तर्गत अकोला और जारुआ कटरा गांव में बनने वाली पानी की टंकियों का कार्य किन परिस्थितियों में रोक दिया गया है ? यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जनपद आगरा के विकास क्षेत्र अकोला के अन्तर्गत जारुआ/कटरा एवं अकोला गांव की पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण क्रमशः 1 फरवरी, 1981 तथा 18 फरवरी, 1981 को किया जा चुका है परन्तु अभी तक उनके जल की रासायनिक तथा जीवाणु अथवा प्रतीक्षित है ।

वतमान में सीमेंट का बहुत अभाव है एवं आवश्कता का 10वां अंश ही प्राप्त इससे निर्माणाधीन कार्यों को ही चालू रखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अतः सीमेंट उपलब्ध होने पर इन टंकियों का नर्माण कार्य हाथ में लेना संभव होगा ।

जनपद देवरिया में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल से संबंधित डीलरों का चालान

55—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला देवरिया में 1 जनवरी, 1979 से 1 अगस्त, 1980 तक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल से संबंधित कितने डीलरों का चालान किया गया तथा कितने के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद देवरिया में 1 जनवरी, 1979 से 1 अगस्त, 1980 तक की अवधि में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी तेल से संबंधित डीलरों के विरुद्ध मुकदमों में चार्जशीट/फाइनल रिपोर्ट लगाये जाने का विवरण निम्नवत् है :—

	चार्जशीट	फाइनल रिपोर्ट
पैट्रोल डीलर	शून्य	शून्य
मिट्टी का तेल डीलर	14	शून्य
डीजल के डीलर	2	2

उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चिकित्साधिकारी

56—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ० प्र० सरकार की सेवा में तारीख 30-10-80 तक कितने चिकित्सा अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हैं और उनमें से कितने अधिकारी स्थायी हैं ? कितने पात्र व्यक्ति अब तक स्थायी नहीं किए गए ? इसके कारण क्या हैं ?

श्री लोकपति—

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में दिनांक 30-10-80 तक निम्नलिखित चिकित्साधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के थे :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1—स्पेशल ग्रेड	1	..
2—सीनियर स्केल	5	..
3—साधारण ग्रेड (पुरुष)	136	31
4—साधारण ग्रेड (महिला)	12	4
योग ..	154	35

सीनियर स्केल तथा स्पेशल ग्रेड के चिकित्साधिकारी साधारण ग्रेड में स्थायी हैं । साधारण ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी अस्थायी हैं । इनकी तदर्थ नियुक्ति होने के कारण इन्हें स्थायी नहीं किया जा सका है । उनके नियमितीकरण करने के पश्चात् तथा परिवीक्षा उपरान्त स्थायी कर दिए जाएंगे ।

जनपद बदायूं में जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं व अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि

57--श्री अबरार अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पिछले 3 वर्ष व चालू वर्ष में कितने रुपये की धनराशि दवाओं के लिए व अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हुई ?

श्री लोकपति--

जनपद बदायूं में जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष में दवाओं एवं अन्य कार्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई गई वह निम्नवत् है :

	वर्ष 1977-78	वर्ष 1978-79	वर्ष 1979-80	वर्ष 1980-81
जिला अस्पताल में औषधि हेतु	5,93,000	5,81,000	6,70,000	6,66,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधि हेतु	4,04,000	4,04,000	4,10,000	4,44,300
दोनों में अन्य कार्यों हेतु	62,15,000	67,11,000	82,53,000	88,70,000

डा० ए० के० श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौर, जनपद बस्ती के विरुद्ध कार्यवाही

58--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रा० स्वा० केन्द्र गौर, जनपद बस्ती के प्रभारी, चिकित्साधिकारी डा० ए० के० श्रीवास्तव, नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स प्राप्त करने के बावजूद भी स्वा० केन्द्र पर टेबुल प्रैक्टिस करके मरीजों से इंजेक्शन के दाम लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1979-80 और 1980-81 में मरीजों के नाम दर्ज वितरण की जांच करा कर राजकीय धन के दुरुपयोग के अभियोग में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । जांचोपरांत डा० ए० के० श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौर, जनपद बस्ती द्वारा टेबुल प्रेक्टिस करके मरीजों से इंजेक्शन्स के दाम लेने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा सदस्य, सरदार चंचल सिंह गिल के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज सरदार चंचल सिंह जी के निधन की खबर हम सब लोगों के लिये बहुत ही दुखद खबर है । जब कोई इंसान जाता है तो वह भले ही चला जाय लेकिन उसकी इंसानियत हमको हमेशा खींचती रहती है । सरदार चंचल सिंह के सम्पर्क में मैं सन् 69 में आया और उनके साथ इसी सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । सरदार चंचल सिंह के सम्पर्क में जो आया उनकी इंसानियत उसको अवश्य खींचती रहेगी । उनका सौम्य तथा नम्र व्यवहार हम सब लोगों के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़कर चला गया है । अपने जीवन काल में उनकी बहुमुखी सेवायें रही हैं, सहकारिता, जिला परिषद्, शिक्षा आदि में । अपना जन-जीवन उन्होंने पत्रकारिता के साथ आरम्भ किया था । जिन कार्यों में कोई व्यक्ति लगा हो केवल उसी से उसके व्यक्तित्व का अन्दाज नहीं लग सकता बल्कि उसके कार्यों का क्या नामकरण होता है उससे भी अन्दाज लगता है । जिन पत्रों का उन्होंने सम्पादन किया उनमें से 'सेवाघर' तथा 'पंजाब शेर' रहे हैं । उनके नामों से ही प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व के कौन से पक्ष रहे हैं, सेवा के पक्ष रहे हैं और साहस के भी पक्ष रहे हैं आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार को हम अपनी सम्वेदनायें पहुंचाना चाहते हैं ।

* श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सरदार चंचल सिंह के प्रति श्रद्धा के जो शब्द माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को आबद्ध करता हूं । सचमुच ही सरदार चंचल सिंह के निधन का समाचार सुनकर हृदय भर गया । वे एक सौम्य स्वभाव के नेक इंसान थे । मैं उनको एक अर्से से जानता था । उनके परिवार से मेरा बहुत ही निकट का सम्बन्ध था । संयोग से उनकी एक पुत्री है । मान्यवर, वे अविभाजित भारत में 1911 में पंजाब सूबे के फिरोजपुर के इलाके में पैदा हुए थे । वहां से आकर उन्होंने यहां रामपुर जिले में अपनी अमिट छाप छोड़ी है । उनका बहुत बड़ा योगदान रामपुर जिले के विकास के लिये रहा है । वे 1971 में पहली बार इस विधान सभा में चुन कर आये और यहां पर मंत्रिमण्डल में भी उनको काम करने का अवसर मिला । सम्भवतः वे परिवहन मंत्री थे और उन्होंने ईमानदारी और नेक-नीयती से मंत्रि पद का निर्वहन किया है । इधर काफी लम्बी उम्र होने के कारण स्वास्थ्य ठीक न रहने से वे हमको छोड़ कर चल बसे । मान्यवर, वे ऐग्रो में भी डाइरेक्टर के पद पर यहां पर थे और उसमें व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कारगर कदम उठाये । उसके सम्बन्ध में उन्होंने रिपोर्ट भी शासन को दी । इसके अलावा उन्होंने समाज में और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों के साथ भी संघर्ष किया है और उनका इस सम्बन्ध में एक इतिहास रहा है । ऐसे आदमी के, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या की हो, उनके उठ जाने से हमको जो क्षति हुई है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने के लिये आपसे आग्रह करता हूं ।

* श्री सूबेदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय मोहन सिंह जी द्वारा स्वर्गीय सरदार चंचल सिंह के निधन पर जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, सरदार चंचल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूबेदार सिंह--]

सिंह के साथ मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला। मैंने उनको निकट से देखा। वे एक सच्चे मानव के रूप में थे। देश सेवा और समाज सेवा उनका पुनीत कर्त्तव्य था। समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में जो उनका योगदान रहा है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस सदन में और सरकार के अन्दर रहकर उन्होंने जिन कर्त्तव्यों का पालन किया है वह निश्चित रूप से हमारे लिये दिशा दर्शन के रूप में रहेंगे। पत्रकारिता के रूप में भी उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। वे सेवा और साहस की प्रतिमूर्ति थे। मैं अपनी और अपने दल की ओर से संवेदनायें आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, अभी स्वर्गीय सरदार चंचल सिंह के निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, उप नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) दल ने व्यक्त किए हैं मैं अपने और अपने दल को उनकी भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सरदार चंचल सिंह जी के साथ बहुत नजदीक से रहने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन यहां पर जो योगदान उनका रहा है, मंत्रिपरिषद् में भी उनका योगदान रहा है उससे मैं उनसे भली-भांति परिचित हूं। वे एक सफल पत्रकार थे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, समाजसेवा के क्षेत्र में तथा एक प्रशासक के रूप में जो कार्य उन्होंने किया है वह निःसंदेह हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। उनके न रहने से समाज में और प्रशासन में तथा जनजीवन में जो अमिट छाप वे छोड़ गये हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की संवेदनायें समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सदगति मिले तथा आप से अनुरोध करता कि आप हमारी इन समवेदनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, सरदार चंचल सिंह के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और विरोधी दलों के अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार तक सम्वेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय सरदार चंचल सिंह जिनके सम्बन्ध में नेता सदन, माननीय मोहन सिंह तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमन्, माननीय सरदार चंचल सिंह जी को मैंने बहुत करीब से देखा है। वे विधायक निवास में भी मेरे पड़ोस में थे और आश्वासन समिति में भी वह मेरे साथ रहे। फील्ड में भी उनका और मेरा क्षेत्र बिलकुल मिलता है वहां पर भी मैंने उनको करीब से देखा है। उनमें जो सबसे बड़ी खूबी थी वह यह थी कि इस वक्त की राजनीति में जो बिरादरी की बात आ गयी है वह उससे दूर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे । इस बात का यह प्रतीक है कि जिस क्षेत्र से वह 69 में चुन कर आये वहां उनकी बिरादरी के लोग बरायनाम रहते हैं । रामपुर जिले की सियासत में सरदार जी ऊपर उठे कर केवल अपने समाजसेवा के आधार पर, चाहे कोआपरेटिव के जरिये हो या दूसरे समाज सेवा के कार्यों से नाम कमाया । उन्होंने एक प्रगतिशील किसान के रूप में वहां पोल्ट्री फार्म पंजाब से आकर चलाया और रामपुर के अन्दर उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, जिसकी वजह से रामपुर की जनता ने उन्हें चुन कर भेजा । उनके तौर-तरीके, उनकी आदमियत इस माननीय सदन के सदस्यों को रास्ता दिखाने वाली चीजें हैं । अन्त में श्रीमन्, मैं पुनः अपने और अपने दल की ओर से प्रार्थना करूंगा कि हमारी भावनाएं उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, सरदार चंचल सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, सरदार चंचल सिंह जी को हमने ब्लाक प्रमुख, सदस्य, जिला परिषद् तथा सदस्य, विधान सभा के रूप में देखा है और प्रशासन में मन्त्री के रूप में होने के नाते उनका काम सर्वत्र प्रशंसनीय रहा है । मान्यवर, आज यह हमारे बीच में नहीं है मैं अपने और अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके शोकसंतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, सरदार चंचल सिंह के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन ने तथा विरोधी दल के अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक सतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय सरदार चंचल सिंह के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैंने सरदार जी के साथ कार्य किया है । मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी था । ऐसे स्पष्टवादी, सौम्य और शिष्ट व्यक्ति थे जो हमेशा हर व्यक्ति के प्रशंसा के पात्र हैं । उनकी सौम्यता, स्पष्टवादिता ऐसी थी कि जो हम सब के लिये अनुकरणीय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के निधन से जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कमी आई है उसकी पूर्ति होना कठिन है । मैं आप सब की अभिव्यक्ति को उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को दुख वहन करने की शक्ति दे । अब हम दो मिनट उनके सम्मान में खड़े होंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

आज की सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का सुझाव

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, सरदार चंचल सिंह जी की स्मृति में मैं अनुरोध करता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही स्थगित करने की आप कृपा करें ।

श्री मोहन सिंह---

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन की भावना के अनुरूप आज की कार्यवाही स्थगित करता हूं। कल 11 बजे फिर हम बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
12 मार्च, 1981 ई०।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर ।)

आवेदक का नाम	ग्राम
1	2
न्याय पंचायत, टंडिया बाजार	
1—श्री राजा राम पुत्र सेतू राम	टंडिया बाजार
2— ,, शैलाक पुत्र बैजनाथ	सेमरा कला
3— ,, रामहर्ष पुत्र चिशु	,,
4— ,, हंसराज पुत्र विदेशी	,,
5— ,, बल्देव पुत्र चैतू	पेडारी
6— ,, जगदत्त पुत्र भुलई	,,
7— ,, चुन्नीलाल पुत्र राम नाथ	न्थोवहा
8— ,, चन्द्रमान मिश्र पुत्र रामलखन	टडिया बाजार
9— ,, मिन्वू मिश्र पुत्र कृपाल	,,
10— ,, सीताराम पुत्र जागू	सेमरा कला
11— ,, मुकुटधारी पुत्र रामबली	कुसम्ही
12— ,, हरी राम पुत्र द्वारिका	सेमरा कला
13— ,, जयकरन पुत्र अलगू	कुसम्ही
14— ,, तिवेनी पुत्र अलगू	सेमरा कला
15— ,, मुनेसर पुत्र जोखन	परैना
16— ,, भेल्लर पुत्र पुरदिल	गोनहा
17— ,, हरीराम पुत्र श्रीराम	ग्त्रा
18— ,, बुद्ध पुत्र सुमोन	कुसम्ही
19— ,, नगेश्वर पुत्र तमेसर	टडिया बाजार
20— ,, मोती पुत्र वाले	,,
21— ,, गढ़	ग्डगो
22— ,, गोमती पुत्र सुहाती	कुसम्ही
23— ,, महावीर पुत्र सूर्यबली	सोनवरसा

1	2
24— श्री रामचन्दर प्रसाद पुत्र राम आसरे	टडिया बाजार
25— ,, राम आसरे	,,
26— ,, रामसुभग	,,
27— ,, मंगल पुत्र गोदई	,,
28— ,, अयोध्या प्रसाद पुत्र जद्दू	गोनहा
29— ,, स्वामी नाथ	,,
30— ,, छांगर पुत्र पुरदिल	,,
31— ,, सम्पत्ति पुत्र शिवनरायन	,,
32— मु0 तिरथा पत्नी गुरचरन	,,
33— श्री रसाती पुत्र पोखई	,,
34— ,, धर्मराज पुत्र लोले	टडिया बाजार
35— ,, चेतूप्रसाद पुत्र लोले	,,
36— ,, सीताराम पुत्र खेलावन	सरवटिया
37— ,, बुःखी पुत्र कुंजी	,,
38— ,, आमीन पुत्र गिरधारी	गिरधारी
39— ,, अली हसन पुत्र सौसिल	पुरैना
40— ,, सुवाई पुत्र गनेसी	,,
41— ,, बरसाती पुत्र छविलाल	बंसरा
42— ,, नन्दू लाल पुत्र बदरी	सेमरा कला
43— ,, गंगा पुत्र सुखराज	गंगी
44— ,, गंगोत्री प्रसाद पुत्र सरजू	टडिया बाजार
45— ,, कैलाश पुत्र सुखदेव	,,
46— ,, मकबूल पुत्र छोटे लाल	,,
47— ,, दुलारे पुत्र बुद्धू	,,
48— ,, महन्थ पुत्र चौधरी	,,
49— ,, महावीर पुत्र चौधरी	,,

1	2
न्याय पंचायत पटखौली	
1— श्री इन्द्रदेव पुत्र लहिमन तिवारी	पेडारी
2— ,, हरी पुत्र गौरी	,,
3— ,, रामदेव पुत्र गौरी	,,
4— ,, हरीराम पुत्र बद्री	,,
5— ,, चौधरी पुत्र लहुरी	फत्तेपर
6— ,, झिनू पुत्र दूलभ	गायघाट
7— ,, मुनेसर पुत्र पंचम	फत्तेपुर
8— ,, कापर पुत्र बीसा	,,
9— ,, विक्रम प्रसाद पुत्र गजराज	हरनीबुजुर्ग
10— ,, बंशराज पुत्र नगई	मजिगवां
11— ,, बिभूती पुत्र जगेसर	,,
12— ,, जगदीश प्रसाद पुत्र रामबेलास	पेडारी खुर्द
13— ,, रामविलास पुत्र दुखलो	,,
14— ,, श्यामलाल पुत्र नैपाल	रीवाजानकार
15— ,, गंसू पुत्र लाली	,,
16— ,, पेरई पुत्र गोगई	इटौवा
17— ,, दुःखी पुत्र भुलन	,,
18— ,, नरेश पुत्र लाली	रीवाजानकार
19— ,, विशम्भर पुत्र गजराज	हरनी बुजुर्ग
20— ,, रमेश्वर पुत्र निरछू	फत्तेपुर
21— ,, तुलासी पुत्र रामबली	हरनी बुजुर्ग
22 — ,, चन्दर पुत्र नरेश	गायघाट
23— ,, जगदम्बिका सिंह पुत्र श्रीकृष्ण सिंह	हरनी बुजुर्ग
24— ,, पटेश्वरी प्रताप सिंह पुत्र ओंकार सिंह	,,
25— ,, ओंकार सिंह पुत्र झिनकू सिंह	,,
26— ,, विश्वनाथ पुत्र सरजू	पेडारी खुर्द
27— ,, हरिद्वार पुत्र घीसम	,,
28— ,, जयराम पुत्र रामलाल	,,
29— ,, रामलाल पुत्र महावीर	,,
30— ,, गढ़ पुत्र छोटे लाल	,,
31— ,, नरेन्द्र पति पुत्र श्रीपति	,,
32— ,, कृष्णपति तिवारी पुत्र रामबुझावन	,,

1	3
33—श्री हलधारी पुत्र लखराज	हरनी बुजुर्ग
34— ,, रामलगन पुत्र त्रिवेनी	पेडारी
35— ,, विश्वम्भर पुत्र बीरभद्र	,,
36— ,, रघुवर दयाल	बैरवा
37— ,, रामबहादुर यादव पुत्र भूलन	,,
38— ,, राम किशोर पुत्र झींगुर	,,
39— ,, शोभाराम पुत्र सूर्यलाल	डुमरियाखुर्द
40— ,, बेचू पाण्डे	,,
41— ,, गौरी पुत्र सूरज लाल	,,
42— ,, जुग्गुन पुत्र बदल	,,
43— ,, रामनाथ पुत्र बुद्धू	,,
44— ,, लहिमन पुत्र हनुमान	,,
45— ,, विशम्बर पुत्र कल्पनाथ	,,

सत्यमेव जयते

1	2
न्याय पंचायत नगवरा	
1— श्री गौरी शंकर पुत्र श्यामलाल	मझवल
2— ,, छांगुर पुत्र इस्माइल	सा0 मझलहरा
3— ,, निसार अहमद पुत्र बादुल्लाह	सा0 आहर
4— ,, मनीयार पुत्र सुभग	,,
5— ,, मु0 हमीद	सा0 मझलहरा
6— ,, जिलेदार पुत्र झगरू	,,
7— ,, मो0 अमीन पुत्र जोखन	सा0 आहर
8— ,, अहमद हुसैन पुत्र मुलहसन	,,
9— ,, बेतुल्लाह पुत्र दोस्त मोहम्मद	,,
10— ,, सोहबत अली पुत्र खलील	,,
11— ,, हैदर अली पुत्र खलील	,,
12— ,, कुरबान अली पुत्र खलील	,,
13— ,, हद्दीश पुत्र सलामत	,,
14— ,, हबीबुल्लाह पुत्र हद्दीश	,,
15— ,, गफूर पुत्र दीन मोहम्मद	मझवल
16— ,, बासदेव पुत्र गब्बू	मुंडहरा
17— ,, सुखपाल पुत्र सीताराम	मझवल
18— ,, मो0 खलील पुत्र बाने	सेमुरिया
19— ,, रहमतुल्लाह पुत्र अब्बास	,,
20— ,, मानुल्लाह पुत्र बुखी	,,
21— ,, अ0 रऊफ पुत्र मुहीबुल्लाह	गगवाकारिया
22— ,, मकबूल हसन पुत्र हबीबुल्लाह	सेमुरिया
23— ,, लल्लन पुत्र प्राग	छपिया गंगवा
24— ,, अ0 हकीम पुत्र हबीबुल्लाह	,,
25— ,, शकून पुत्र गुलाम हुसैन	,,
26— ,, अ0 अब्बार पुत्र बकसुल्लाह	,,
27— ,, छोटन पुत्र बादुल	,,

3	2
28— श्री रमजान पुत्र मोती	छपिया गंगवा
29— ,, तकसीम अली पुत्र रिशाल	,,
30— ,, मदरसा इसलामिया	,,
31— ,, अब्दुल गफूर पुत्र इसलामिया	,,
32— ,, लाल साह पुत्र कोदई	परसोहित
33— ,, तिलकदेव पुत्र रामहरख	,,
34— ,, सीताराम पुत्र साहू	भंसहवा
35— ,, दुनमुन पुत्र जगेसर	सा0 भंसहवा
36— ,, लाले पुत्र कल्पू	सा0 नगपारा
37— ,, धरीराम पुत्र रामबली	,,
38— ,, काशीराम पुत्र रामभरोस	,,
39— ,, बनारसी पुत्र कल्लन	सेखुइया
40— ,, दलसिंगार पुत्र सहदेव	नगपरा
41— ,, लालाजी पुत्र सहदेव	,,
42— ,, रामनाथ पुत्र भरोसे	,,
43— ,, भोलूराम पुत्र भरोसे	,,
44— ,, बीपत पुत्र छब्बन	नगपरा
45— ,, मु0 जमा पुत्र हासिल	नगपरी
46— ,, मु0 नाजिर पुत्र सूबेदार	गंगवाछपिया
47— ,, रहमतुल्लाह पुत्र सकूर	,,
48— ,, यासीन पुत्र फतहू	,,
49— ,, सहाबुद्दीन पुत्र गुद्दन	मझवन
50— ,, मु0 सईद पुत्र अदालत	,,
51— ,, मु0 खलील पुत्र रज्जब अली	,,

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर :

जनपद बांदा के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का विकास क्षेत्रवार विवरण

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या	दिनांक 31-3-1980 को पेयजल की सुविधा की स्थिति			दिनांक 1-4-80 तक शेष अभाव ग्रस्त ग्रामों की संख्या	वर्ष 1980-81 में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	टिप्पणी
			ग्रामों की संख्या जिनमें					
			कार्य हो चुका है	कार्य हो रहा है	कार्य होना है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जसपुरा	45	..	12	33	45	..	
2	तिन्दवारी	75	..	63	12	75	45	
3	बड़ोखर खुर्द	49	..	28	21	49	24	
4	बबेरू	66	2	52	12	64	..	
5	बिसन्डा	31	5	4	22	26	4	
6	कमासिन	50	17	1	32	33	..	
7	महुआ	28	..	5	23	28	5	
8	बरेंदी	19	..	..	19	19	..	
9	पहाड़ी	25	12	..	13	13	..	
10	चित्रकूट	51	30	..	21	21	..	
11	मानिकपुर	73	67	..	6	6	..	
12	रामनगर	47	15	..	32	32	..	
13	कमऊ	91	74	..	17	17	..	
	योग	650	222	165	263	428	78	

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

दिनांक 1 जून, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक

जनपद वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुरुष एवं महिला आपरेशनों का विवरण :

क्रम सं0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	पुरुष आपरेशन	महिला आपरेशन	कुल योग
1	2	3	4	5
1	बड़ा गांव	3	12	15
2	चिरई गांव	..	..	..
3	चोलापुर	2	66	68
4	हरहुआ	2	146	148
5	का0 वि0 पी0	1	..	1
6	पिण्ड्रा	8	88	96
7	नियमतबाद	1	..	1
8	बरहनी	2	..	2
9	चहनियां	..	73	73
10	चन्दौली	8	232	240
11	चकिया	4	130	134
12	धानापुर	3	..	3
13	नौगढ़	..	..	..
14	शहाबगंज	4	3	7
15	सकलडीहा	2	19	21
16	आराजीलाइन	12	38	50
17	औराई	..	10	10
18	भदोही	8	..	8
19	डीह	5	..	5

1		2	3	4
20	गोपीगंज	8	109	117
21	सुमिरयांवा	5	..	5
22	सेवापुरी	5	..	5
23	जिला मुख्यालय पर	47	1897	1944
	योग ..	130	2821	2951

पी0 एस0 यू0 पी0--39 वि0 सभा--24-8-82--835(पी0 डी0)।

सत्यमेव जयते

प्रवेश पत्र नमूना